मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य
वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972

(क्रमांक 7 सन् 1973)
तथा
उसके अधीन निर्मित नियम

(15 सन् 2016 तक यथा संशोधित)

विषय-सूची

1. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972

2. मध्यप्रदश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 (अद्यतन संशोधित)

3. मध्यप्रदेश विधान सभा (शोध्य धनराशियों की वसूली) नियम, 1976

4. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977

5. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम 1978

6. मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996.

7. मध्यप्रदेश विधान सभा कुटुम्ब पेंशन नियम, 2000 (अद्यतन संशोधित)

8. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) में समय-समय पर हुए संशोधनों का सार"

9. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम के "संशोधन" 7 सन् 73

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972

(मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 7 सन् 1973)

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 30 व 63 सन् 1976, 7 सन् 1977, 19 व 30 सन् 1978, 8 व 20 सन् 1980, 19 सन् 1981, 24 सन् 1983, 24 सन् 1985 18 सन् 1986, 10 व 27 सन् 1987, 18, सन् 1988, 19 सन् 1991, 7 सन् 92, 18 सन् 1992, 34 सन् 1995, 13 सन् 1997, 23 सन् 1997, 19 सन् 1999, 18 सन् 2000, 26 सन् 2001, 25 सन् 2007, 22 सन् 2008, 17 सन 2010, 15 सन् 2011 एवं 23 सन् 2012, 8 सन् 2013, 15 सन् 2016 द्वारा संशोधित.

राज्य विधान सभा के सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन के लिये उपबंध करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य [वेतन, भत्ता तथा पेंशन] अधिनियम, 1972 कहा जा सकेगा.		संक्षिप्त नाम

2. इस अधिनियम में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, :-		परिभाषाएं

(क) "समिति" से अभिप्रेत है विधान सभा की कोई प्रवर समिति या विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के अधीन गठित कोई समिति या अध्यक्ष या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई कोई समिति और उसके (समिति के) अंतर्गत कानूनी बोर्ड तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये बोर्ड आते हैं ;

(ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा का कोई सदस्य, किंतु उसके अंतर्गत –

(एक) मंत्री

(दो) राज्यमंत्री

(तीन) उप मंत्री,

(चार) संसदीय सचिव,

3 [चार-क (मध्यप्रदेश विधान मंडल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में यथा परिभाषित विरोधी दल का नेता, और]

(पांच) मध्यप्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नहीं आते है.

4 [(ख-1) "सम्मिलन" से अभिप्रेत है, विधान सभा का सम्मिलन या किसी समिति का कोई सम्मिलन ; (ख-2) "सम्मिलन का स्थान" से अभिप्रेत है भोपाल या ऐसा अन्य स्थान जो किसी सम्मिलन के लिए नियत किया जाय ;

(ग) "सत्र" से अभिप्रेत है व संपूर्ण कालावधि जिसका आरंभ विधान सभा की बैठकों के प्रारंभ होने के दिन से तीन दिन पूर्व होता हो और उसका अंत विधान सभा की बैठकों के अनिश्चित काल के लिए स्थगन द्वारा या सत्रावसान द्वारा, जैसी भी कि दशा हो, समाप्त होने के दिन से ठीक तीन दिन पश्चात् होता हो.

3. प्रत्येक सदस्य को [तीस हजार] रूपये प्रतिमाह वेतन दिया जायेगा.		सदस्यों का वेतन

4. प्रत्येक सदस्य को [पैंतीस हजार] रूपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.		निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

[4-क, प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन भत्ते के रूप में [दस हजार] रूपये प्रतिमास दिये जायेंगे, चाहे उसके निवास स्थान पर टेलीफोन हो या न हो,].		टेलीफोन भत्ता

4(ख) "ख,-, प्रत्येक सदस्य को दस हजार रूपये प्रतिमास लेखन सामग्री तथा डाक भत्ता दिया जायेगा."		लेखन सामग्री तथा डाक भत्ता

"4-ग. प्रत्येक सदस्य को पंद्रह हजार रूपये प्रतिमास कम्प्यूटर ऑपरेटर/अर्दली भत्ता दिया जायेगा."		अर्दली भत्ता

5- (1) प्रत्येक सदस्य को रेल कूपन दिये जायेंगे जो, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं,		राज्य के भीतर तथा बाहर रेल द्वारा नि:शुल्क अभवहित

(एक) उसे अकेले प्रथम श्रेणी वातानुकूलित द्वारा; या

(दो) उसे उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति सहित प्रथम श्रेणी द्वारा या वातानुकूलित शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा,

किसी भी रेल से राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष केवल 10000 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए हकदार बनाएंगे."

(2) जब तक कि किसी सदस्य को उपधारा (1) के अधीन नि:शुल्क रेल कूपन नहीं दिया जाता तबतक धारा 6 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रकार की किसी ऐसी यात्रा के लिये जो कि उसने रेल द्वारा की हो, एक प्रथम श्रेणी वातानुकूलित या वातानुकूलित शयन यान यात्री भाड़े के बराबर रकम पाने का हकदार होगा,

(3) धारा 6-क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को रेल के कूपन दिए जाएँगे जो ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, उसे प्रथम श्रेणी द्वारा अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/पति या एक परिचारक के साथ किसी भी रेल से, --

शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ किसी भी रेल से,-

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के; और

(दो) राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष केवल चार हजार किलोमीटर तक की, यात्रा करने के लिए हकदार बनाएंगे.

[(5-ख) [(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो, कोई सदस्य अपने निवास स्थान के निकटतम विमान पत्तन से सत्र या सम्मिलन के स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है, वहां वह दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए, वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा,];		वायुयान से यात्रा की सुविधा

(2) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां आवश्यक हो कोई सदस्य जो राज्य के भीतर या बाहर वायुयान से यात्रा करता है, ऐसे नियमों के अध्ययाधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाये, ऐसी यात्रा के लिए अधिकतम पदाभिहित मितव्ययी श्रेणी यात्री भाडे के अध्ययाधीन रहते हुए दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा;

परंतु किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी सदस्य द्वारा धारा-5 क के अधीन राज्य के बाहर रेल द्वारा की गई यात्रा तथा इस उपधारा के अधीन राज्य के बाहर वायुयान द्वारा की गई यात्रा पर किया गया कुल व्यय छ: हजार किलो मीटर के लिए वातानुकूलित शयनयान के रेल किराये के दुगने के बराबर की रकम से अधिक नहीं होगा.".

(3) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां कोई सदस्य मध्यप्रदेश राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है तो वह ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा;

परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसी यात्राओं की कुल संख्या प्रतिवर्ष 34 से अधिक नहीं होगी.

5-ग इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक सदस्य जो किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्यों से संबद्ध कोई अन्य कामकाज करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने पर, स्टीमर से यात्रा करता है, वह और उसके साथ जाने वाला एक व्यक्ति दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए स्टीमर के किराये की प्रतिपूर्ति उस रकम की सीमा तक पाने का हकदार होगा, जो प्रथम श्रेणी के रेल किराये की रकम के दुगने के बराबर हो.'.		स्टीमर यात्रा की सुविधा

6.(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक ऐसा यात्रा के लिए जोकि उसने राज्य के भीतर या राज्य के बाहर, किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपने प्राथमिक निवास-स्थान से उस स्थन तक की हो, जहां कि वह सत्र या सम्मिलन किया जाना है और ऐसे स्थान से उसके प्राथमिक निवास-स्थान तक की वापसी यात्रा के लिए ऐसी दरों से जो कि विहित की जायें, यात्रा दैनिक भत्ते दिये जायेंगे.		यात्रा तथा दैनिक भत्ता

(2) प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो सम्मिलन के स्थान पर या उससे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर मामूली तौर पर निवास करता है, ऐसी दरों से, जो कि विहित की जाय, दैनिक भत्ता दिया जायगा.

6-क (1) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2012 के प्रारंभ से प्रत्येक व्यक्ति को जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में किसी भी कालावधि के लिए कार्य किया है, बीस हजार रूपये प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जायेगा ;		धारा 6-क का संशोधन

परंतु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां उसे पांच वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रूपये प्रतिमास अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जायेगा और किसी सदस्य की अवधि के लिए अंतिम वर्ष की छः मास या अधिक की कालावधि अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पूर्ण वर्ष समझी जायेगा :

'' परंतु यह और कि पेंशन में प्रतिवर्ष आठ सौ रूपये प्रतिमास जोड़े जायेंगे. ''

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिये हकदार कोई व्यक्ति --

(एक) भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिये निर्वाचित हो जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद नियुक्त कर दिया जाता है; या

(दो) राज्य सभा का या लोक सभा का या किसी राज्य की किसी संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधानसभा का या किसी राज्य की किसी विधान परिषद् का या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन् 1966) की धारा 3 के अधीन गणित की गई दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य हो जाता है; या

(तीन) केंद्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम जिस पर केंद्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित हो जाता है या ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक मानदेय या प्रतिकर प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार हो जाता है;

वहां ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन की किसी पेंशन का उस कालावधि के लिये हकदार नहीं होगा जिसके कि दौरान वह ऐसा पद धारण किये रहे या ऐसे सदस्य के रूप में बना रहे या इस प्रकार नियोजित रहे या ऐसे पारिश्रमिक मानदेय या प्रतिकार का हकदार बना रहे ;

परंतु जहां वह वेतन जो कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा पद धारण करने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने के कारण देय हो या खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट किया गया पारिश्रमिक मानदेय या प्रतिकार जो कि ऐसे व्यक्ति को देय हो उपधारा (1) के अधीन उसे देय पेंशन से कम हो वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन पेंशन के रूप में अतिशेष पाने का भी हकदार होगा.

(3) "जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति कोई अन्य पेंशन पाने का भी हकदार है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त उपधारा (1) के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा"

(4) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये, वर्षों की संख्या की संगणना करने में --

(एक) कालावधि की गणना 1 अप्रैल सन् 1952 से की जायेगी;

(दो) 1 अप्रैल सन् 1952 के पूर्व की कोई भी कालावधि छोड़ दी जायेगी;

(तीन) वह कालावधि भी हिसाब में ली जायगी जिसके कि दौरान किसी व्यक्ति ने मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव के रूप में अथवा मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान, भोपाल या विन्ध्यप्रदेश के विद्यमान राज्यों जैसे कि वे स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 37, सन् 1956) की धारा 9 में निर्दिष्ट किये गये हैं, की सरकारके मुख्य मंत्री, मंत्री राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव के रूप में अथवा मध्यप्रदेश विधान सभा के या उक्त विद्यमान राज्यों में से किसी भी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में या दोनों के रूप में या मध्यप्रदेश विधान मण्डल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में यथा परिभाषित विरोधी दल के नेता के रूप में कार्य मध्यप्रदेश विधान सभा में या उक्त विद्यमान राज्यों की विधान सभाओं में अपनी सदस्यता के आधार पर किया हो,-

"6-ख, किसी ऐसे मृतक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को, यदि कोई हो, या आश्रित को जो धारा-6 क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार था उसकी मृत्यु की तारीख से ऐसी कालावधि के लिए **अठारह हजार** रूपये प्रतिमास कुटुम्ब पेंशन दी जाएगी, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में किसी शासकीय सेवक को अनुज्ञेय है : ",		कुटुम्ब पेंशन

"परंतु परिवार पेंशन में प्रतिवर्ष पांच सौ रूपये प्रतिमास जोड़े जायेंगे."

6-ग, प्रत्येक, जो धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा, और **पंद्रह हजार** रूपये प्रतिमास चिकित्सीय भत्ता भी दिया जाएगा"		भूतपूर्व सदस्यों को चिकित्सीय सुविधाएं

(7) (1) प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास **दस हजार** रूपये का चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा. (1-क) उपधारा (1) के अधीन देय चिकित्सा भत्ता के अतिरिक्त किंतु राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये किन्ही नियमों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य वैयक्तिक तौर पर		सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता, चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार

(एक) राज्य सरकार द्वारा चलाये गये चिकित्सालयों में ऐसा स्थान नि:शुल्क प्राप्त करने का तथा ऐसे चिकित्सालयों में उपलब्ध ऐसा चिकित्सीय उपचार नि:शुल्क प्राप्त करने का भी हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार के नियम-निर्माण नियंत्रण के अधीन किसी ऐसे शासकीय सेवक के स्वयं के लिए जो कि प्रतिमास 225 रूपये या अधिक वेतन प्राप्त करता हो, स्वीकार्य होता है;

(दो) जब कि वह सरकारी कार्य से राज्य के बाहर यात्रा कर रहा हो तो ऐसे सरकारी चिकित्सालय में, जो कि ऐसे स्थान पर स्थित हो, जहां कि वह ऐसे सरकारी कार्य से जाय, या किसी ऐसे स्थान पर स्थिति हो जो उस स्थान तक की, जहां कि उसे जाना हो, उसकी यात्रा के बीच पड़ता हो, चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा;

(तीन) राज्य के बाहर, कोई विशेषित चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि चिकित्सक की राय में ऐसा विशेषित चिकित्सीय उपचार आवश्यक हो और ऐसे सदस्य ने राज्य के बाहर ऐसे उपचार के लिये संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश का अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया हो,

(चार) राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों के आंतरिक रोगी के रूप में कराई गई चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार तथा शल्य चिकित्सा पर हुए समस्त प्रभारों की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा,

(पांच) सदस्य के अचानक बीमार हो जाने तथा राज्य के बाहर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की पूर्व अनुमति के बिना चिकित्सीय उपचार कराने की स्थिति में शासन द्वारा विनिर्दिष्ट बीमारियों पर नियमानुसार अग्रिम प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसे अग्रिम को स्वीकृत करने के लिए प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा अधिकृत होगा तथा यह अग्रिम संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अनुमोदन के पश्चात् चिकित्सा प्रतिपूर्ति में से समायोजित किया जायेगा :" ;

परंतु ऐसा सदस्य खण्ड (दो) तथा (तीन) के अधीन राज्य के बाहर प्राप्त किये गये चिकित्सीय उपचार पर उसके द्वारा उपगत किये गये प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिये उस सीमा तक हकदार होगा जिस सीमा तक कि वह स्थिति में हकदार होता जबकि उसने ऐसा चिकित्सीय उपचार राज्य में के किसी सरकारी चिकित्सालय में कराया होता.

स्पष्टीकरण-1 इस धारा में "चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार" से अभिप्रेत है भरती होने पर अंतर्वासी रोगी के रूप में उपचार,

(2) जब तक कि उपधारा (1-क) के अधीन नियम न बना दिये जाये, किन्तु उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार संबंधी नियम, इस उपान्तरण अध्यधीन रहते हुए कि प्रतिपूर्ति के किसी भी दावे के प्रयोजन के लिये नियंत्रक प्राधिकारी मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रमुख सचिव होगा, सदस्य को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे पूर्वोक्त शासकीय सेवक को उसके स्वयं के लिये लागू होते हैं,

" 7-क. मृत सदस्य के आश्रित को पांच लाख रूपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा."

8-क, कोई भी ऐसी धनराशि, जो कि किसी सदस्य से या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो कि धारा 6-क के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, सदस्य की हैसियत में उसको दी गई वास सुविधा के किराये के मद्दे या की गई उसकी सेवा के या उसे दी गई किसी सुविधा के प्रभारों के मद्दे या सदस्य की हैसियत से उसकों अन्यथा दी गई किसी वस्तु के प्रभारों के मद्दें राज्य सरकार को शोध्य हो, और उसके द्वारा (सदस्य द्वारा) राज्य सरकार को देय हो, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन यथास्थिति --		सदस्यों से शोध्य तथा देय धनराशियों की वसूली

(एक) ऐसे सदस्य को देय वेतन तथा भत्तों में से, या

(दो) ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन में से,

ऐसे रीति में, जो कि विहित की जाय, वसूली योग्य होगी.]

9.(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबंध हो सकेंगे :-		नियम बनाने की शक्ति

(क) वे निबंधन तथा शर्तें जिनके कि साथ किसी सदस्य को नि:शुल्क बस पास धारा 5 के अधीन दिया जाएगा.

(कक) किसी सदस्य को धारा 5-क के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों का विनियमन;

(ककक) वह प्रारूप जिसमें कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी पेंशन का दावा करने का प्रयोजन के लिये प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा;

(क-1) किसी सदस्य को धारा 6 के अधीन देय यात्रा तथा दैनिक भत्ते की दरें,

(ख) सदस्यों के लिये धारा 7 के अधीन चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार का विनियमन;

(ग) किसी सदस्य के धारा 8-क के अधीन शोध्य तथा उसके द्वारा देय धनराशियों की वसूली की रीति.

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम मध्यप्रदेश विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे और विधान सभा संकल्प द्वारा, उन नियमों के उपान्तरणों सहित या उपांतरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगी.

10. मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिब असेम्बली मेम्बर्स (सोलरिज एण्ड अलाउन्सेज) एक्ट, 1956 (क्रमांक 4 सन् 1957) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है.		निरसन

मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम, 1957

[2 दिसंबर, 1957 को विधान सभा द्वारा अनुमोदित तथा संकल्प दिनांक 16 सितंबर, 1964, 12 सितंबर 1965, 30 नवंबर, 1967, 21 दिसंबर, 1972, 16 मई 1973, अधिसूचना क्रमांक 3828-एफ-4-80-संका-इक्कीस-अ., दिनाक 4 फरवरी 1980, अधिसूचना क्रमांक 7600-इक्कीस-अ-स-का., दिनांक 30 मार्च 1981, अधिसूचना क्रमांक 9182-इक्कीस-अ (सं.का.), दिनांक 21 अप्रैल 1981, अधिसूचना क्रमांक 22991-इक्कीस-अ., (सं.का.), 24 सितंबर 1982, तथा अधिसूचना क्रमांक फा-4-अड़तालीस-87(सं.का.) दिनांक 5-3-1987, 28 अप्रैल 89, 8 सितंबर 89, 1 अप्रैल 1994 एवं 11 अप्रैल, 1997, अधिसूचना क्र. 2837-एक-(2) 62-अड़तालीस 2001 (सं.का.) दिनांक 26.12.2001, अधिसूचना क्र. 504 एफ (2) 45-07-अड़तालीस 2008 (सं.कां), अधिसूचना क्र. 459 एक (3) 20-10 दो अड़तालीस दिनांक 20.4.2012 तक संशोधित,].

1. ये नियम मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम, 1957 कहे जावें,

2. (1) इन नियमों में जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो --

(क) "सभा" से आशय मध्यप्रदेश विधान सभा से है:

(ख) "दिन" से आशय मध्यरात्रि को प्रारंभ और समाप्त होने प्रति दिन से है;

(ग) "बैठक" से आशय सभा की बैठक से या समिति की बैठक से है;

(घ) "बैठक का स्थान" से आशय भोपाल से या ऐसे अन्य स्थान से है, जो बैठक के लिये निश्चित किया जाय;

(ङ) "निवास स्थान" से आशय सदस्य के सामान्य निवास स्थान से है, जो विधान सभा सचिवालय की पंजी में दर्ज हो, यदि ऐसा स्थान मध्यप्रदेश के अंदर हो, और यदि किसी सदस्य का सामान्य निवास स्थान, मध्यप्रदेश के बाहर हो, तो सदस्य द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य स्थान से है, जो मध्यप्रदेश के अंदर हो तथा सदस्य के सामान्य निवास स्थान से समीपतम हो;

(च) "सदस्य का निवास" से आशय उस गृह से है, जहां सदस्य यथास्थिति, अपने निवास-स्थानमें या बैठक के स्थान में निवास करता हो;

(छ) "समिति के बैठक के दिन" से आश्य वस्तुत: बैठक होने के दिन या दिनों से या तथा बैठक के उस दिन या उन दिनों के ठीक पहले के और ठीक बाद के एक दिन से है.

(ज) "प्रमुख सचिव" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रमुख सचिव तथा उसमें सम्मिलित है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किए जाए.

इन नियमों कि,

(2) जिन पदों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा इन नियमों में नहीं दी गई है किंतु जिनकी परिभाषा मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्यों (के वेतन और भत्ते) संबंधी अधिनियम, 1956 (संख्या 4, 1957) में दी गई है, उनके वे ही अर्थ होंगे जो उनके लिये उक्त अधिनियम में निर्धारित किये गये हैं;

3.(1) यदि --

(एक) किसी सदस्य का निवास स्थान सम्मिलन के स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो और ऐसा निवास स्थान रेल द्वारा या ऐसी सड़क द्वारा, जिस पर कि राज्य परिवहन उपक्रम की बसे चलती हो, जुड़ा हुआ न हो, या

(दो) सम्मिलन का स्थान कोई ऐसा स्थान हो जो रेल द्वार या ऐसी सड़क द्वारा जिस पर कि मध्यप्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम की बसें चलती हो., जुड़ा हुआ न हो, तो वह सदस्य--

(क) ऊपर (एक) की दशा में, अपने निवास स्थान से निकटतम रेलहेड या राज्य परिवहन उपक्रम के निकटतम बस स्टाप तक की यात्रा तथा वहां से वापसी की यात्रा के संबंध में,

(ख) ऊपर (दो) की दशा में, सम्मिलन में, सम्मिलन के ऐसे स्थान के निकटतम रेलहेड या मध्यप्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम के निकटतम बस स्टाप से सम्मिलन के स्थान तक की यात्रा तथा वहीं से वापसी की यात्रा के संबंध में 50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा.

(1-क) यदि किसी सदस्य का निवास स्थान भोपाल से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो और ऐसा सदस्य भोपाल में सत्र या सम्मिलन में हाजिर होने के प्रयोजन के लिये या वहां से अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिये यानि कि स्वयं की मीटर कार से यात्रा करता है, तो वह की गई ऐसी यात्रा के लिये (6रूपया) प्रति किलोमीटर की दर सेट यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा.

स्पष्टीकरण,-- इस उपनियम के प्रयोजन के लिये "अपनी स्वयं की मोटर कार से ऐसी मोटरकार" अभिप्रेत है जिसका रजिस्ट्रीकरण मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का सं. 4) के अधीन सदस्य के नाम से है.

(1-कक) यदि किसी सदस्य का निवास स्थान सत्र या किसी समिति के सम्मिलन के स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हो और ऐसा सदस्य सत्र में या किसी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये अपने निवास स्थान के निकटतम विमानतल (एयर पोर्ट) से सत्र या सम्मिलन के स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है तो वह दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिये वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा;

परंतु वायुयान की टिकिट की दूसरी पर्त (काउन्टर फाइल) प्रस्तुत करेगा और यदि दूसरी पर्त (काउन्टर फाइल) गुम जाती है या अपातगत हो जाती है तो वह इण्डियन एयरलाइन्स के वायुयान से की गई संबंधित यात्रा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगा.]

(1-क-क-क) प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो अधिनियम की धारा 5-ख की उपधारा (2) में वर्णित प्रकार की यात्रा करता है, वह अधिकतम पदाभिहित मितव्ययी श्रेणी यात्री भाडे के अध्याधीन रहते हुए दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा;

परंतु किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी सदस्य द्वारा अधिनियम की धारा 5-क के अधीन राज्य के बाहर रेल द्वारा की गई यात्रा तथा धार 5-ख की उपधारा (2) के अधीन राज्य के बाहर वायुयान द्वारा की गई यात्रा पर किया गया कुल व्यय छह हजार किलोमीटर के लिए वातानुकूलित शयनयान के रेल किराये के दुगने के बराबर की रकम से अधिक नहीं होगा ;

परंतु यह और कि --

(एक) ऐसा सदस्य वायुयान के टिकिट की दूसरी पर्त (काउन्टर फाइल) प्रस्तुत करेगा और यदि दूसरी पर्त गुम हो जाती है या किसी अप्राधिकृत व्यक्ति के पास हो तो उसे सुसंगत यात्रा के बारे में, यथास्थिति, इंडियन एयर लाइन्स या ट्रेबल एजेंसी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(दो) इस अधिनियम के अधीन के प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला सदस्य निम्नलिखित प्ररूप में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात:-

घोषणा

मैं, ...एतद द्वारा, यह घोषणा करता हूं कि मैंने उस यात्रा और कालावधि, जिसके यात्रा भत्ता हेतु इस बिल में दावा किया गया है, के लिए यात्रा भत्ता का पूर्व में दावा नहीं किया है और ऐसी यात्रा सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक थी.

तारीख .... ………………………………..

सदस्य के हस्ताक्षर

(तीन) यदि सदस्य धारा 5-ख की उपधारा (2) के अधीन राज्य के बाहर वायुयान से यात्रा करता है तो वह उतनी रकम के रेल्वे कूपनों को अध्यर्पित करेगा, जो इस उपनियम के अधीन प्रतिपूर्ति का दावा की जाने वाली रकम के धन मूल्य के समतुल्य हो. स्पष्टीकरण -- "रेल्वे कूपन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1978 के अधीन सदस्य की जारी की गई कूपन पुस्तक,",

(1-क क क क) प्रत्येक ऐसे सदस्य जो अधिनियम की धारा 5-ग में वर्णित प्रकार की यात्रा करता है, वह और उसके साथ चलने वाला एक व्यक्ति दोनों तरफ दोनों की ऐसी यात्रा के लिए स्टीमर के किराये की प्रतिपूर्ति हेतु उतनी रकम के लिए हकदार होगा, जो प्रथम श्रेणी के रेल के किराये की रकम के दुगुने के बराबर हो;

परंतु --

(एक) ऐसा सदस्य स्टीमर टिकिट की दूसरी पर्त (काउन्टर फाइल) प्रस्तुत करेगा और यदि दूसरी पर्त गुम हो जाती है या किसी अप्राधिकृत व्यक्त के पास हो तो उसे सुसंगत यात्रा के बारे में संबंधित स्टीमर कंपनी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(दो) यदि इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले सदस्य ने अधिनियम की धारा 5-ग में यथाविनिर्दिष्ट किसी कामकाज के प्रयोजन के लिए, जो सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों से संबंद्ध हो, स्टीमर द्वारा यात्रा की हो तो वह निम्नलिखित प्ररूप में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात;

घोषणा

मैं, ... एतद् द्वारा, यह घोषणा करता हूं कि मैंने उस यात्रा और कालावधि, जिसके यात्रा भत्ता हेतु इस बिल में दावा किया गया है, के लिए यात्रा भत्ता का पूर्व में दावा नहीं किया है और ऐसी यात्रा सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों से कामकाज के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी.

तारीख....................... ……………………..

सदस्य के हस्ताक्षर

(1-ख) रेल द्वारा राज्य के बाहर यात्रा की जाय तो प्रत्येक सदस्य को, जो धारा 6 में वर्णित प्रकार की यात्रा राज्य के बाहर करता है, उसे, राज्य के भीतर अंतिम स्टेशन और राज्य के बाहर के गन्तव्य स्थान के बीच की दूरी के लिये दोनों और का एक-एक प्रथम श्रेणी का रेल का भाड़ा मिलेगा और ऐसा

रेल का भाड़ा रेल यात्रा कूपनों के रूप में मिलेगा, जो कि धारा 5-क के अधीन राज्य के बाहर की यात्रा के लिए मिलने वाले रेल यात्रा कूपनों के अतिरिक्त होंगे.].

(1-ग) प्रत्येक सदस्य, जो धारा 6 में निर्दिष्ट किए गए प्रकार की कोई यात्रा करता है, निम्नलिखित दरों पर आनुषंगिक प्रभार पाने का हकदार होगा :-

700 किलो मीटर तक की यात्रा के लिए 1000 रूपये की दर से एक दैनिक भत्ता.

700 किलो मीटर से अधिक की यात्रा के लिए 1500 रूपये की दर से एक दैनिक भत्ता.

(2) किसी सत्र के दौरान या किसी समिति की बैठक के दिनों में सम्मिलित स्थान पर विराम के लिये सदस्य विराम के प्रत्येक दिन के लिये प्रतिदिन या उसके किसी भाग के लिये (एक हजार रूपये) की दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा.

(3) यदि किसी समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी सदस्य के मध्यप्रदेश के बाहर किसी स्थान पर जाना पड़े तो वह उपनियम (1) के अनुसार यात्रा भत्ता पाने का तथा ऐसे स्थान पर ठहरने के लिये (एक हजार पांच सौ रूपये) प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता भी पाने का हकदार होगा;

परंतु यदि वह सम्मिलन के स्थान पर अपरान्ह में पहुंचता है या पूर्वान्ह में वहां से रवाना हो जाता है तो वह उस दिन के लिये केवल आधे दिन का दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा ;

4.(1) प्रत्येक सदस्य को, जो सम्मिलन के स्थान पर या सम्मिलन के स्थान से आठ किलोमीटर के भीतर साधारण तौर पर निवास करता हो -

(क) किसी समिति की बैठक के दिन के लिये, और

(ख) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सत्र के दौरान प्रत्येक दिन के लिये [एक हजार रूपये] प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जाएगा.

(2) किसी सत्र के दौरान ऐसे स्थगन की दशा में जो कि सात या सात से अधिक दिनों तक का हो, वह केवल सात दिन के लिये दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा.]

5.(1) [* * * *]

5.(1) यदि सत्र के चालू रहने की अवधि में कोई सदस्य अधिक से अधिक सात दिन के लिए बैठक का स्थान छोड़ कर चला जाय, तो वह ऐसी अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ;

परंतु वह ऐसी अनुपस्थिति के लिए दैनिक भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा यदि वह सात दिन से अधिक लगातार अनुपस्थित रहता है."

(2) किसी सत्र के दौरान ऐसे स्थगन की दशा में जो कि सात या सात से अधिक दिनों तक का हो, यदि कोई ऐसा सदस्य जिसका निवास स्थान सम्मिलन के स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हो, सम्मिलन के स्थान को छोड़ देता हो, तो वह रूल 3 के अनुसार यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा और यदि वह सम्मिलन के स्थान पर ठहरता है, तो वह ठहरने के समस्त दिनों में से सात से अनधिक दिनों के लिये दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा.

(3) कोई भी सदस्य उसी दशा में नियम 3 के अधीन यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा जब कि वह सत्र के प्रारंभ होने से अधिक से अधिक 30 दिन पूर्व बैठक के स्थान पर पहुंचने या सत्र की समाप्ति के अधिक से अधिक 30 दिन बाद उस स्थान को छोड़े.

(4) जब उसी स्थान पर (एक) विधान सभा के सम्मिलन तथा किसी समिति के किसी सम्मिलन के या (दो) किसी समिति के किसी सम्मिलन तथा उसी समिति के या किसी अन्य समिति के या विधान सभा के किसी अन्य सम्मिलन के बीच छः दिन में अनधिक का अन्तराल हो और जिस दिन में किसी सदस्य का उपस्थित होना अपेक्षित हो, तो वह अन्तराल के दिनों के लिये दैनिक भत्ता पाने का हकदार तभी होगा जब कि वह सम्मिलन के स्थान पर रूके, अन्यथा नहीं,

6.(1) यात्रा भत्ते का हिसाब लगाने के लिये दो स्थानों के बीच की यात्रा उस मार्ग से की गई मानी जायेगी जो दो या अधिक संभव मांगों में सबसे छोटा हो, अथवा बराबर दूरी वाले छोटे मांगों से सबसे कम खर्च वाला हो.

(2) रेल यात्रा की दशा में सबसे छोटा मार्ग वह होगा, जिसके द्वारा यात्रा अपने गन्तव्य स्थान को सबसे जल्दी पहुंच सके.

(3) यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि किसी सदस्य के निवास स्थान से बैठक के स्थान तक रेल यात्रा की दशा में, सामान्य छोटे मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग से सदस्य की सुविधा के लिये आवश्यक यात्रा संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती है तो अध्यक्ष उस सदस्य को ऐसे मार्ग से यात्रा करने की अनुमति दे सकता है और तदुपरांत वह मार्ग उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ छोटा मार्ग समझा जायेगा.

7. यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उपस्थित हो तो विवाद-प्रश्न अध्यक्ष के पास भेजा जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा.

8.(1) अपनी यात्रा तथा बैठक के स्थान पर ठहरने के लिये यात्रा, भत्ता या दैनिक भत्ता लेने के इच्छुक सदस्य को प्रमुख सचिव, विधान सभा के पास उसके द्वारा विहित प्रपत्र पर विवरण प्रस्तुत करना होगा.

(2) विधान सभा सचिवालय देयक की दो प्रतियां तैयार करेगा और दोनों प्रतियां सदस्य के पास उसके हस्ताक्षर के लिए भेज देगा. समुचित रूप से हस्ताक्षरित देयक की प्रतियां सदस्य के पास से वापस आने पर देयक की एक प्रति जो प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा समुचित रूप प्रति हस्ताक्षरित होगी, सदस्य के पास उस खजाने में, जहां कि वह देयक को प्रत्याहन्त करने का हकदार हो, भुनाने के लिए अग्रेषित की जायगी.

(3) सत्र की कालावधि में, को भी सदस्य अपने यात्रा और दैनिक भत्ते के संबंध में अग्रिम धन के रूप में उतनी राशि उन दिनांकों को ले सकेगा, जितनी राशि और जो दिनांक प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें.

9. राज्य शासन द्वारा गठित परामर्श समितियों से भिन्न समितियों या विधि द्वारा उपबंधित बोर्डो या राज्य शासन द्वारा नियुक्त बोर्डों के सदस्य, जो बैठकों में उपस्थित हों, अपने यात्रा भत्ता देयक प्रतिहस्ताक्षर के लिये शासन के सचिवालय के पास भेजेंगे, विधान सभा सचिवालय के पास नहीं.

मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रपत्र 1

(नियम 8 देखिये)

मध्यप्रदेश विधान सभा के की .... सत्र समिति के संबंध में की गई यात्राओं के बारे में अग्रिम लेने हेतु विवरण

1. सदस्य का नाम ....2. निर्वाचन क्षेत्र क्र...

यात्रा का प्रकार	प्रस्थान		आगमन		दूरी	किराया	अन्य विवरण यदि कोई हो तो
	स्थान	तिथि व समय	स्थान	तिथि व समय			
(1) निवास स्थान से निकटतम रेलहेड या राज्य परिवहन बस स्टाप तक की गई यात्रा. (2) राज्य परिवहन उपक्रम की बस से की गई यात्रा. (3) रेल द्वारा की गई यात्रा. (4) अन्य प्रकार से की गई यात्रा.		आने की	यात्रा				

यात्रा का प्रकार	प्रस्थान		आगमन		दूरी	किराया	अन्य विवरण यदि कोई हो तो
	स्थान	तिथि व समय	स्थान	तिथि व समय			
(1) बैठक के स्थान से रेल द्वारा की गई यात्रा. (2) राज्य परिवहन उपक्रम की बस से की गई यात्रा. (3) निकटतम रेलहेड या राज्य परिवहन उपक्रम के बस स्टाप से निवास स्थान तक की गई यात्रा. (4) अन्य प्रकार से की गई यात्रा.		वापसी	यात्रा				

3. एक ही स्थान पर सत्र या समिति की बैठक में उपस्थित होने के दिन पश्चात् तक की अन्तरावधि में किसी अन्य समिति में उपस्थित होने उसका उल्लेख एवं यात्रा विवरण.

4. भोपाल में ठहरने के दिनों की संख्या ....

5. भोपाल में ठहरने का पता ....

दिनांक............................ ....

सदस्य के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रपत्र 2

(नियम 8 देखिये)

मध्यप्रदेश विधान सभा के/की .... सत्र/समिति के संबंध में की गई यात्राओं के बारे में अग्रिम लेने हेतु विवरण

1. सदस्य का नाम ....निर्वाचन क्षेत्र क्र..................................
2. ....

यात्रा का प्रकार	प्रस्थान		आगमन		दूरी	किराया	अन्य विवरण यदि कोई हो तो
	स्थान	तिथि व समय	स्थान	तिथि व समय			
(1) निवास स्थान से निकटतम रेलहेड या राज्य परिवहन बस स्टाप तक की गई यात्रा. (2) राज्य परिवहन उपक्रम की बस से की गई यात्रा. (3) रेल द्वारा की गई यात्रा. (4) अन्य प्रकार से की गई यात्रा.		<u>आने</u>	<u>की</u>	<u>यात्रा</u>			

यात्रा का प्रकार	प्रस्थान		आगमन		दूरी	किराया	अन्य विवरण यदि कोई हो तो
	स्थान	तिथि व समय	स्थान	तिथि व समय			
(1) बैठक के स्थान से रेल द्वारा की गई यात्रा. (2) राज्य परिवहन उपक्रम की बस से की गई यात्रा. (3) निकटतम रेलहेड या राज्य परिवहन उपक्रम के बस स्टाप से निवास स्थान तक की गई यात्रा. (4) अन्य प्रकार से की गई यात्रा.		<u>वापसी</u>	<u>यात्रा</u>				

3. एक ही स्थान पर सत्र या समिति की बैठक में उपस्थित होने के छ: दिन पूर्व या छ: दिन पश्चात् तक की अन्तरावधि में किसी अन्य समिति में उपस्थित होने उसका उल्लेख एवं यात्रा विवरण.
4. भोपाल में ठहरने के दिनों की संख्या ....
5. भोपाल में ठहरने का पता ....

दिनांक............................ ....

सदस्य के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रपत्र 3

मध्यप्रदेश विधान सभा .... सत्र के उपस्थित रहने के लिये दैनिक भत्ते की अग्रिम राशि लेने के हेतु विवरण

सदस्य का नाम .... निर्वाचन क्षेत्र क्र...................................

आगमन तिथि तथा समय (1)	अधिवेशन पर ठहरने के विगत सप्ताह के वे दिनांक जिनके बारे में इसके पहले आग्रिम राशि नहीं ले गई (2)	कैफियत (3)

दैनिक भत्ते को अग्रिम राशि के रूप में मुझे रू. .... (रू...दिये जावे.

दिनांक ....

सदस्य के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (शोध्य धनराशियों की वसूली) नियम, 1976

[" मध्यप्रदेश राजपत्र " (असाधारण), दिनांक 8 सितम्बर, 1976 में प्रकाशित तथा अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 1980 द्वारा संशोधित]

नियम

1. ये नियम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (शोध्य धनराशियों की वसूली) नियम, 1976 कहलायेंगे.

1 [1-क. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा के अंतर्गतआता है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किया गया हो.]

2. किसी भी ऐसी धनराशि के लिये जो किसी विधान सभा सदस्य से, सदस्य की हैसियत से उसको दी गई वास सुविधा के किराये के मद्दे या की गई उसकी सेवा के या दी गई किसी सुविधा के प्रभारों के मद्दे या सदस्य की हैसियत से उसको अन्यथा दी गई किसी वस्तु के प्रभारों के मद्दे सोध्य तथा उसके द्वारा (सदस्य द्वारा) देय हो, मांग-पत्र इन नियमों से संलग्न प्ररूप में होगा और सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा को अग्रेषित किया जाएगा.

3. नियम 2 के अधीन मांग पत्र प्राप्त होने पर वह अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जो ऐसी रकम की, जो कि सदस्य के विरूद्ध बकाया दर्शायी गयी हो और संबंधित सदस्य के वेतन देयक या यात्रा भत्ता देयक से ऐसी समान किश्तों में जैसा कि वह अवधारित करे, कटौती के आदेश दे सकेगा;

परंतु जहां वसूली सदस्य के वेतन देयक से की जानी है, वहां इस प्रकार नियत की गई मासिक किश्त किसी एक मास के लिये उसे अनुज्ञेय वेतन तथा भत्ता के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी.

4. ऐसे मामले में जहां किसी रकम का सदस्य के यात्रा भत्ता देयक से कटौती किये जाने का आदेश दिया गया हो, वहां विधान सभा सचिवालय द्वारा आवश्यक कटौती की जायेगी, किन्तु यदि संबंधित सदस्य के वेतन देयक से कोई कटौती की जानी हो तो वह उस खजाना के, जहां से कि सदस्य अपना वेतन निकालता है, खजाना अधिकारी को प्रज्ञापित करेगा, की जावेगी.

5. विधान सभा सचिवालय की, सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा के हस्ताक्षर के अधीन प्रज्ञापना, संबंधित सदस्य के वेतन देयक से आवश्यक कटौती करने हेतु संबंधित खजाना अधिकारी के लिये पर्याप्त प्रधिकार होगी.

6. खजाना अधिकारी, संबंधित सदस्य के वेतन देयक में से रकम की कटौती करने के पश्चात् सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा को वसूली के ब्यौरे प्रज्ञापित करेगा जो (सचिव) उसे उस प्राधिकारी को, प्रज्ञापित करेगा जिससे कि मांग पत्र प्राप्त हुआ था.

प्ररूप

(नियम दो देखिये)

विधान सभा सदस्य के विरूद्‌ध बकाया शोध्यों के बयौरे देने वाला प्ररूप

क्रमांक	सदस्य का नाम	बकाया रकम	रकम की विशिष्टियां	कालावधि जिसके लिये बकाया रकम संबंधित है	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6

म.प्र. विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977

["मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) क्र. 14770 (1) 4-26-77-पी.ए.-77/2/21-अ, दिनांक 31 मार्च, 1977 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 1980 तथा अधिसूचना क्र. 1385, दिनांक 3 जुलाई, 1996 द्वारा संशोधित]

1. ये नियम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य/पेंशन नियम, 1977 कहलायेंगे.

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973);

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(ग) "सचिव" से अभिप्रेत है सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा और उसके अंतर्गत आता है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो अध्यक्ष द्वारा उन नियमों के प्रयोजनों के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किया गया हो.

3. प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिये हकदार हो सचिव को प्ररूप "क" में आवेदन करेगा. आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ की तीन प्रतियां तथा तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिगनेचर) संलग्न किये जायेंगे.

परंतु यदि किसी व्यक्ति की जो धारा 6-क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार हैं प्ररूप "क" में आवेदन प्रस्तुत किये बिना मृत्यु हो जाये तो उसका पति या पत्नि या जहां कोई पति या पत्नि नहीं है वहां अवयस्क पुत्र/पुत्री या जहां कोई अवयस्क पुत्र/पुत्री नहीं है वहां आश्रित पिता/माता या जहां कोई आश्रित पिता/माता नहीं है वहां वयस्क पुत्र/पुत्री सचिव म.प्र. विधान सभा को पेंशन की शोध्य रकम प्राप्त करने हेतु प्ररूप "क क" में आवेदन कर सकेगा/सकेगी. आवेदन के साथ निवेदन फोटों की तीन प्रतियां संबंधित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और नातेदारी प्रमाण-पत्र एवं किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर) संलग्न होंगे.

4.(1) सचिव, आवेदन पत्र की अन्तर्वस्तु को सत्यापित करेगा या सत्यापित करवायेगा और उसका यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार है, पेंशन मंजूर करते हुए एक आदेश जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा :-

(क) अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति का नाम ;

(ख) पेंशन की रकम ;

(ग) वह तारीख जिससे ऐसा व्यक्ति पेंशन के लिये हकदार होगा ;

(घ) वह खजाना जिसके माध्यम से भुगतान किया जायेगा.

(2) पेंशन मंजूर करने के आदेश की एक प्रति महालेखापाल-एक, मध्यप्रदेश को अग्रेषित की जायगी.

5. मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर महालेखाकार, मध्यप्रदेश उस खजाने के, जिसके माध्यम से पेंशन संवितरित की जानी हो खजाना अधिकारी को प्ररूप "ख" में पेंशन भुगतान ओदश, आवेदक को सूचना देते हुए जारी करेगा.

6. पेंशन भोगी अपनी पेंशन लेने के लिये या तो स्वयं या किसी अभिकर्ता या संदेशवाहक के माध्यम से प्ररूप "ग" में एक देयक खजाना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, पेंशन स्वयं प्राप्त करने के सिवाय खजाने द्वारा पेंशन का भुगतान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप "घ" में जारी किया गया जीवन प्रमाण-पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) पेश करने के अध्यधीन रहते हुए किया जायेगा.

स्पष्टीकरण, -- इस नियम के प्रयोजन के लिये "सक्षम प्राधिकारी" कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई प्रथम वर्ग अधिकारी या संसद अथवा मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड जिल्द एक के नियम 363 में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी होगा.

7. प्रथम पेंशन देयक और तत्पश्चात् मई तथा नवंबर मासों के प्रत्येक पेंशन देयक के साथ प्ररूप "ड" में एक घोषणा पत्र संलग्न होगी.

8. अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (2) के अधीन पेंशन प्राप्त करने के लिये पेंशन भोगी को निरहित करने वाली किसी घटना के घटित होने पर, पेंशनभोगी सचिव को, महालेखापाल को जिसने पेंशन भुगतान आदेश जारी किया है तथा संबंधित खजाना अधिकारी को घटना की सूचना तत्काल देगा.

प्ररूप ''क''

(नियम 3 देखिये)

पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-क देखिये)

(अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा).

प्रेषक :

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

....

प्रति,

सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.

विषय :-- मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन पेंशन की मंजूरी.

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धार 6-क के शब्दों में मैं निम्नलिखित कालावधियों के संबंध में, जिनमें मैंने विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया हैं, पेंशन के लिये हकदार हूं.

निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक	से	तक

(एक) ....

(दो) ....

(तीन) ....

(चार) ....

2. निवेदन है कि मुझे पेंशन मंजूर करने के लिये कृपया कार्यवाही करें, मैं अपनी पेंशन सरकारी खजाना .... से लेना चाहता हूं/चाहती हूं.

3. मैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी/संसद या मध्यप्रदेश विधान सभा के आसीन सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों इसके साथ संलग्न करताहूं/करती हूं :-

(एक) तीन आदर्श हस्ताक्षर.

(दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटोग्राफ की तीन प्रतियां

4. मेरा वर्तमान पता .... है

मेरा स्थाई पता .... है

5. मैं, एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि :-

(एक) मैं, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद या किसी राज्य के राज्यपाल का पद या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक का पद धारण नहीं करता हूं/करती हूं.

(दो) मैं, राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा या किसी राज्य की किसी विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन् 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य नहीं हूं.

(तीन) मैं केंद्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूं.

या ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार नहीं हूं।

(चार) ** ** **

(पांच) मैं,..का पद धारण करता हूं/करती हूं या मैं...का/की सदस्य हूं या मैं.......................................मैं ....के रूप में / नियोजित हूं.

और ऐसा पद धारक के रूप में या ऐसे सदस्य होते हुए या ऐसे नियोजन में होते हुए मेरे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कुल पारिश्रमिक रूपये .... प्रतिमास है.

(सक्षम प्राधिकारी का एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय.)

(छः) ** ** **

भवदीय

नाम बडे अक्षरों में ....

स्थान ....

तारीख ....

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

लेखा शाखा

क्रमांक ....लेखा   तारीख ....

महालेखाकार-एक मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित.

लेखा अधिकारी.

कार्यालय, महालेखापाल-एक, मध्यप्रदेश

क्रमांक ....   तारीख ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में नीचे दी गई कालावधियों तक कार्य किया है -

(1)... से .... तक
(2)... से .... तक
(3)... से .... तक

और यह कि उसे रूपये .... प्रति मास की पेंशन अनुज्ञेय है.

लेखा अधिकारी.

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक.........................   तारीख 19

रूपये .... (रूपये .... केवल) प्रतिमास पेंशन श्री/श्रीमती/कुमारी .... को तारीख .... से मंजूर की जाती है.

पेंशन .... खजाना से देय होगी.

महालेखापाल-एक मध्यप्रदेश, ग्वालियर को अग्रेषित.

सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रारूप ''कक''

(नियम 3 देखिये)

पेंशन के लिय आवेदन

(मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 की धारा 6-क देखिये)

(अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति के वारिसों द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

प्रेषक :

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

....

....

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा,
भोपाल.

विषय :- मध्यप्रदेश विधान सदस्य, वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन पेंशन की शोध्य रकम की मंजूरी.

महोदय,

उक्त अधिनियम की धारा 6-क के निबंधनों के अनुसार श्री/श्रीमती .... मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में उसके द्वारा की गई सेवा के निम्नलिखित कालावधियों के संबंध में पेंशन का हकदार था/थी, अर्थात :-

निर्वाचन क्षेत्र का	से	तक	नाम तथा क्रमांक

(एक) ....

(दो) ....

(तीन) ....

(चार) ....

चूंकि वह अपने जीवन काल में पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका/सकी और मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य पेंशन नियम 1977 के नियम तीन के परन्तुक के अधीन मैं, श्री/श्रीमती .... की पेंशन की शोध्य रकम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का/की हकदार हूं.

2. अतएव निवेदन है कि मुझे ऊपर वर्णित पेंशन की शोध्य रकम मंजूर करने के लिए कृपया कार्यवाही करें. में पेंशन की शोध्य रकम .... सरकारी खजाने से लेना चाहता हूं / चाहती हूं.

3. मैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी/संसद या मध्यप्रदेश विधान सभा के आसीन सदस्य द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न करता हूं/करती हूं :-

(एक) अधोहस्ताक्षरी के तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर)
(दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटों की तीन प्रतियां
(तीन) मृत्यु प्रमाण-पत्र
(चार) अन्य वारिसों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र
(पांच) नातेदारी प्रमाण-पत्र

4. मेरा वर्तमान पता ....
.... है.
मेरा स्थाई पता ....
.... है.

5. मैं, एतद द्वारा घोषित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है.

स्थान .... भवदीय
तारीख ....

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
लेखा शाखा

क्र.........../वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन तारीख 2000

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी.आर.1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

उप सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

कार्यालय, महालेखाकार-1, मध्यप्रदेश

क्र. .... तारीख ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी .... ने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में नीचे दी गई कालावधियों के लिए सेवा की थी,

(1) .... से .... तक
(2) .... से .... तक
(3) .... से .... तक

और उसकी मृत्यु हो जाने के कारण एवं ऊपर वर्णित को पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण पेंशन रू .... प्रति मास उसके वारिस श्री/श्रीमति/कुमारी .... को अनुज्ञेय है.

लेखा अधिकारी.

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

क्र........../वि.सं./सदस्य लेखा/पेंशन तारीख 2000

श्री/श्रीमती/कुमारी .... को तारीख .... से तारीख.. तक रूपये .... (रूपये ....केवल) प्रति मास पेंशन मंजूर की जाती है.

पेंशन .... खजाना से देय होगी.

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी.आर.1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.. श्री/श्रीमती/कुमारी ....श्री/श्रीमती/कुमारी .... (विधान सभा का पूर्व सदस्य) के प्रति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, माता/पिता है.

तारीख .... तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.के.दास प्रमुख सचिव,

प्ररूप "ख"

(नियम 5 देखिये)

पेंशन भुगतान आदेश

पेंशन भोगी का भाग

संवितरक का भाग

पेंशन भोगी के फोटोग्राफ के लिये स्थान

लेखा का शीर्षक : राज्य सरकार को विकलनीय :
मुख्य शीर्षक-266 पेंशन तथा सेवा निवृत्ति के अन्य फायदे
मतदत्त : लघु शीर्ष विधायकों राज्य विधान मण्डलों
के सदस्यों को पेंशन.

1. पेंशन भोगी का नाम ....
2. निवास स्थान ग्राम तथा परगना दर्शाते हुए ....
....
3. पेंशन का वर्ग-मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन,
तथा भत्ता पेंशन अधिनियम, 1972
(क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन पेंशन.

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर के लिये स्थान

4. मासिक पेंशन की रकम ....
5. प्रारंभ होने की तारीख ....
6. भुगतान का कार्यालय तथा स्थान ....
कार्यालय ....

क्रमांक .... तारीख 200

आगामी सूचना तक तथा प्रत्येक मास की समाप्ति पर कृपया श्री .... को रूपये .... की राशि, जो कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 के अधीन पेंशन की रकम है, का भुगतान करें.

भुगतान .... से प्रारंभ होगा.

(हस्ताक्षर) ....

(पदाभिधान) ....

टिप्पणी - पेंशन भोगी द्वारा (उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र के अनुसार) प्राप्त की जाने वाली पारिश्रमिक की रकम यदि कोई हो, इस अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (2) के अनुसार उसकी पेंशन में से घटाई जाये.

महालेखापाल के कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति
हस्ताक्षर..

प्रति,

____
____
____

पेंशन के भुगतान को शासित करने वाली शर्तें।

1. इस आदेश के अधीन पेंशन देय नहीं होगी जब तक कि पेंशन भोगी-(एक) भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिये निर्वाचित है या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी/संघ राज्य क्षेत्र, के प्रशासक के पद पर नियुक्त है ;

(दो) राज्य सभा का या लोक सभा का किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र, की किसी विधानसभा का या किसी राज्य की विधान परिषद् का या दिल्ली प्रशासन, अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन् 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली, महानगर परिषद का सदस्य ;

(तीन) केंद्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम, जिस पर केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित है या ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई परिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार हो जाता है ;

परंतु जहां ऐसा पद धारण करने के लिये या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने के कारण प्राप्त किया जाने वाला वेतन या जहां शर्त (तीन) में निर्दिष्ट किया गया पारिश्रमिक, इस आदेश के अधीन देय पेंशन से कम हो, वहां पेंशन भोगी इस आदेश के अधीन के रूप में अतिशेष पाने का ही हकदार होगा.

2. ** ** **

3. इस आदेश के अधीन पेंशन का प्रथम भुगतान और प्रत्येक वर्ष मई तथा नवम्बर मासों के लिए पेंशन के पश्चात्वर्ती भुगतान, कोई पद धारण करने, नियोजिन में होने के संबंध में पेंशन भोगी द्वारा विहित प्ररूप में घोषणा पेश करने के अध्यधीन रहते हुये होंगे. इसके अतिरिक्त पेंशनभोगी से यह अपेक्षा की जाती कि वह सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा को महालेखापाल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (जिसने पेंशन भुगतान आदेश जारी किया है) को तथा साथ ही पेंशन, संवितरक अधिकारी को शर्त. 1 में यथानिर्दिष्ट अपने-अपने निर्वाचन, नियोजन के बारे में उस घटना के एक मास के भीतर सूचित करें.

4. खजाना/उपखजाना में इस आदेश के अधीन भुगतान इस आदेश के पेश करने पर तथा प्ररूप "ग" में देयक प्रस्तुत करने पर पेंशन भोगी को स्वयं किया जायेगा.

खजाना/उप खजाना में वैयक्तिक हाजिरी उस मामले में अभित्यजित की जा सकेगी जिसमें किसी पेंशन भोगी को शासन द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई हो या जो किसी संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान चाहता है और किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी द्वारा संसद/मध्यप्रदेश विधान सभा के किसी आसीन सदस्य द्वारा या मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड, जिल्द एक के नियम 363 में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण-पत्र (लाईफ सर्टीफिकेट) भेजता है. सिवाय उस दशा में जिसमें कि पेंशन स्वयं प्राप्त की जाय खजाना/उपखजाना द्वारा पेंशन का भुगतान जीवन प्रमाण-पत्र पेश करने के अध्यधीन रहते हुए किया जायेगा.

टिप्पणी-(एक) पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाने पर यह आदेश उसके कुटुम्ब द्वारा पेंशन संवितरक अधिकारी को पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख की रिपोर्ट सहित तत्काल लौटा दिया जाए.

(दो) जीवनकाल की बकाया, यदि कोई, के लिये औपचारिक दाये जहां कहीं आवश्यक हो, वैध प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से समर्पित किये जाकर पेंशन संवितरक अधिकारी को प्रस्तुत किये जाये.

पेंशन की रकम रूपये .... (शब्दों में) .... प्रत्येक पृथक् भुगतान संवितरक अधिकारी द्वारा नीचे अभिलिखित किया जायेगा :-

मास जिसके लिये पेंशन शोध्य है	19 भुगतान की तारीख	19 संवितरक अधिकारी के आद्याक्षर	19 भुगतान की तारीख	19 संवितरक अधिकारी के आद्याक्षर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
मार्च					
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					

प्ररूप ''ग''

(नियम 6 देखिये)

राज्य मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6 के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति का पेंशन देयक

पेंशन भुगतान आदेश क्रमांक ....

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

जिला .... लेखा शीर्ष 266-पेंशन तथा सेवा निवृत्ति के अन्य फायदे.

व्हाउचर क्रमांक..........................
तारीख.....................................
विधायकों,
राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों की पेंशन.

उक्त अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति के रूप में माह .... 2000 .... के लिए मुझे शोध्य पेंशन की रकम रूपये ....

कम कीजिये...................................... माह ....20 .... के लिय मेरे पेंशन देयक के साथ प्ररूप "ड" में घोषणा के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (2) के अधीन मेरे द्वारा प्राप्त किये जाने वाला पारिश्रमिक ....

रूपये ....
शुद्ध रकम ....

शब्दों में (रूपये ....)

भुगतान प्राप्त हुआ.

भुगतान कीजिये रूपये.............
(रूपये ....)

यदि रकम रूपये 500 से अधिक हो तो रसीद टिकट लागइये.

खजाना अधिकारी

पेंशन भोगी का निवास स्थान
....
....
स्थान ....

पेंशन भोगी के
हस्ताक्षर ....
तारीख ....

टिप्पणी- प्ररूप "ड" में घोषणा प्रथम पेंशन देय तथा प्रत्येक वर्ष मई तथा नवंबर मासों के लिय पेंशन देयकों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिये.

प्ररूप "घ"

(नियम 6 देखिये)

प्रमाण-पत्र

जो कि पेंशन भोगी द्वारा स्वयं उपस्थित न होने की दशा में दिया जायेगा

(किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केंद्रीय या राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी संसद मध्यप्रदेश विधान सभा के किसी आसीन सदस्य या मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड, जिल्द एक के नियम 363 के निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जावे).

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भोगी श्री/श्रीमती/कुमारी .... को देखा है और यह कि वह इस तारीख को जीवित है, और देयक पर उसने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है,

स्थान ....
तारीख......................

हस्ताक्षर ....
पदाभियान ....
मुद्रा ....

प्ररूप ''ड.''

(नियम 7 देखिये)

घोषणा

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति द्वारा उसके प्रथम पेंशन देयक के साथ तथा तत्पश्चात् वर्ष में दो बार अर्थात् मई तथा नवंबर मासों में प्रस्तुत किया जाय).

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि -

(एक) मैं भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित नहीं हुआ हूं/नहीं हुई हूं; या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हुआ हूं/नहीं हुई हूं ; या

(दो) मैं राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की किसी विधान सभा या विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन् 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य नहीं हूँ; या

(तीन) मैं केन्द्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम जिस पर केंद्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूं या मैं ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार नहीं हूं; या

(चार) ** ** **

मैं ....का पद धारण करता हूं/ करती हूं

या

मैं ....का/की सदस्य हूं या मैं

*..मैं .... के रूप में नियोजित हूं और ऐसे पद के धारक के रूप में या ऐसा सदस्य होने या ऐसे नियोजित में होने के कारण मेरे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कुल परिश्रमिक रूपये .... हैं.

स्थान	पेंशन भोगी ....
तारीख	पता ....
	....

यहां केन्द्रीय सरकार के/राज्य सरकार के/स्थानीय प्राधिकारी के/ऐसे निगम, जिस पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के कार्यालय के नाम का उल्लेख कीजिये.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य
(रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1978

[" म.प्र. राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 7 दिसंबर 1978 में प्रकाशित तथा अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 1980, 5 फरवरी 1981, 24 सितम्बर 1982, 23 जनवरी 1986, 4 मई 1987 एवं 12 अक्टूबर 1987, 20 मार्च 1991 एवं 7 नवम्बर 1991, 24 दिसंबर, 2001, 1 जुलाई, 2006 तक संशोधित.

1. ये नियम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम 1978 कहलायेंगे.		संक्षिप्त नाम

2. इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, --		परिभाषाएं

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) ;

(ख) " कूपन पुस्तक " से अभिप्रेत है रेल यात्रा कूपन पुस्तक जो किसी सदस्य को उसके स्वयं के लिये तथा उसके साथ चलने वाले [एक व्यक्ति] के लिये इन नियमों के अधीन जारी की गई हो,

[(ग) "सचिव" से अभिप्रेत है सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा तथा उसके अंतर्गत आता है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया गया है.]

" 3. सदस्यों को कूपन पुस्तकों का दिया जाना-अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा कूपन पुस्तकों के सेट दिये जायेंगे जो, -

(एक) उसे अकेले प्रथम श्रेणी वातानुकूलित द्वारा; या

(दो) उसे उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति सहित प्रथम श्रेणी द्वारा या वातानुकूलित शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा.

किसी भी रेल से मध्यप्रदेश राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और म.प्र. राज्य के बाहर किसी एक वर्ष के दौरान केवल 6000 किलोमीटर तक यात्रा करने के लिए, जो नियम 11 के उपबंधों के अनुसार संगणित कि जायेगी हकदार बनायेंगे."

4.(1) सदस्यों द्वारा इन नियमों के अनुसार उपयोग करने हेतु कूपन पुस्तकों के प्रदाय के लिये, जब कभी आवश्यक हो सचिव द्वारा महाप्रबंधक, मध्य रेल्वे, मुम्बई को अध्यपेक्षा की जायेगी.		कूपन पुस्तकों के प्रदाय के लिये अध्यपेक्षा

"(2) ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, महाप्रबंधक, मध्यरेल्वे, मुम्बई, प्रथम श्रेणी वातानुकूलित या प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान से रेल यात्रा की कूपन पुस्तकें या द्वितीय श्रेणी शयनयान से रेल यात्रा की कूपन पुस्तके जिनका उपयोग सदस्यों द्वारा और उनके साथ चल रहे व्यक्तियों द्वारा किसी भी भारतीय रेल में यात्रा करने के लिये किया जा सकता है, सचिव को प्रदाय करेगा और म.प्र. राज्य के प्रति आवश्यक विकलन करेगा.

5. (1) कूपन, पुस्तकों के रूप में उपलब्ध होंगे, प्रत्येक कूपन पुस्तक में धन मूल्य कूपन निम्नानुसार अन्तर्विष्ट होंगे :-		धन मूल्य की कूपन पुस्तकें उपलभ्य होंगी

(1)	12 कूपन प्रत्येक 100 रूपये का	1200.00
	8 कूपन प्रत्येक 50 रूपये का	400.00
	12 कूपन प्रत्येक 20 रूपये का	240.00
	8 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	80.00
	12 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	60.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	20.00

	रूपये	2000.00"
(2)	8 कूपन प्रत्येक 25 रूपये का	200.00
	12 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	120.00
	28 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	140.00
	40 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	40.00

	रूपये	500.00"
(3)	4 कूपन प्रत्येक 25 रूपये का	100.00
	4 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	40.00
	8 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	40.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	20.00

	रूपये	200.00"
(4)	4 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	40.00
	10 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	50.00
	10 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	10.00

	रूपये	100.00

(2) प्रत्येक कूपन पुस्तक पर पुस्तक क्रमांक और उसमें के प्रत्येक कूपन पर पुस्तक क्रमांक तथा अनुक्रमानुसार कूपन क्रमांक अंकित किये जायेंगे.

6. प्रत्येक कूपन पुस्तक की कीमत वही होगी जो रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय.		कूपन पुस्तकों की कीमत

" 7. प्रत्येक कूपन पुस्तक में सचिव द्वारा दिया गया निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अन्तर्विष्ट अर्थात :-		कूपन पुस्तकों का प्रमाण-पत्र

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... मध्यप्रदेश विधान सभा के/की सदस्य हूं और उन्हें रेल यात्रा कूपनों के बदले में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित शयनयान/) द्वितीय श्रेणी शयनयान/ द्वितीय श्रेणी के टिकट जारी किए जाएं जिसके द्वारा वे अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन प्रथम श्रेणी वातानुकूलित द्वारा अकेले अथवा प्रथम श्रेणी द्वारा/वातानुकूलित शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति सहित मध्यप्रदेश राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और म.प्र. राज्य के बाहर प्रति वर्ष केवल 6,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिये हकदार होंगे/होंगी."

सदस्य के हस्ताक्षर

अभिप्रमाणित

सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

8.(1) जिस सदस्य को कूपन पुस्तक जारी की जा रही हो उस सदस्य का नाम उसके (कूपन पुस्तक के) दिये जाने के पूर्व सचिव द्वारा उस पर लिखा जायेगा		कूपन पुस्तकें जारी करने के पूर्व की जाने के लिये अपेक्षित बातें

(2) सचिव ऐसी कोई कूपन पुस्तक जारी किये जाने के पूर्व निम्नलिखित घोषणा को (जो कि प्रत्येक ऐसी पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रित होगी) सदस्य के सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित करवायेगा, अर्थात् :-

" मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी .... एतदद्वारा घोषणा करता हूं करती हं कि रियायत का उपयोग मेरे द्वारा तथा मेरे साथ चल रहे एक व्यक्ति द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर और राज्य के बाहर उन यात्राओं के लिये किया जायेगा जो कि मुझे मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के अधीन अनुज्ञेय है,

....

सदस्य के हस्ताक्षर अनुप्रमाणित

सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा

9.(1) (क) कूपन पुस्तकें एक समय में उतने दन मूल्य की जारी की जायेंगी जो किसी सदस्य को तथा उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति को राज्य के भीतर 6,000 किलो मीटर से अनधिक तथा राज्य के बाहर 3,000 किलो मीटर से अनधिक की यात्रा के लिये हकदार बनाता हो ;		एक समय पर उपयोग में लाई जाने वाली कूपन पुस्तकों की संख्या तथा उनकी उपलब्धता,

(ख) अनुसूचित में दिये गये प्ररूप में सदस्य द्वारा की गई घोषणा के आधार पर सदस्य को नई कूपन पुस्तक, सचिव का यह समाधान होने के पश्चात् जारी की जाएगी कि ऐसे सदस्य को पूर्व में जारी की गई कूपन पुस्तक का उपयोग ऐसे सदस्य द्वारा कर लिया गया है और सम्यक्त: पूर्ण तथा हस्ताक्षरित कूपनों के प्रतिपूर्ण वापिस प्राप्त हो गये हैं."

(ग) राज्य के भीतर यात्रा हेतु तथा राज्य के बाहर यात्रा हेतु कूपन पुस्तकें व विभिन्न रंगों में होगी ;

(घ) जहां उपयोग में न लाये गये कूपन विधिमान्यथताकी कालावधि की समाप्ति के पूर्व सदस्य द्वारा लौटाए नहीं जाते हैं वहां उनकी कीमत सचिव द्वारा सदस्य से वसूल की जाने योग्य होगी.

(2) कूपन पुस्तक केवल उस सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध रहेगी जिसका नाम उस पर विनिर्दिष्ट किया गया हो.

(3) कूपन पुस्तक किसी भी तारीख से जारी की जा सकेगी तथा एक वर्ष के लिये विधिमामन्य होगी.

(4) सचिव प्रत्येक सदस्य को इन नियमों के अधीन जारी की गई कूपन पुस्तकों का लेखा रखेगा.

(5) यदि सचिव का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिनियम की धारा 5-क तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किये गये रेल अभिवहन कूपनों के दुरूपयोग को रोकने तथा उनके उचित लेखा रखने के संबंध में आवश्यक अनुदेश अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त करने जारी कर सकेगा."

10. (1) इन नियमों के अधीन दी गई कूपन पुस्तकें तथा उनमें के कूपन अहस्तान्तरणीय होंगे और वे केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिये उपयोग में लाये जायेंगे, जिनके लिये वे जारी किये गये हों. (2) किसी व्यक्ति के सदस्य न रहने की दशा में, कूपन पुस्तक सचिव को लौटा दी जायगी.		कूपन पुस्तकें तथा कूपन अहस्तान्तरणीय होंगे

11. राज्य के बाहर की यात्रा संगणना निम्नानुसार की जायेगी :-		राज्य के बाहर की यात्रा की संगणना किस प्रकार की जायगी.

(1) राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान तक केवल उतनी यात्रा, जितनी कि [राज्य के भीतर के अंतिम रेल्वे स्टेशन] तथा राज्य के बाहर के गंतव्य स्थान के बीच की यात्रा हों,

(2) राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर के किसी स्थान तक की केवल उतनी यात्रा जितनी कि राज्य के बाहर प्रस्थान के स्टेशन से [राज्य के भीतर के प्रथम रेल्वे स्टेशन] के बीच की यात्रा हो.

(3) धारा 6 में निर्दिष्ट प्रकार की राज्य के बाहर यात्रा, जिसके लिए कोई सदस्य मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के नियम 3 के उप नियम (1-ख) के अधीन प्रथम श्रेणी रेल भाड़े का हकदार हैं, अपवर्जित की जाएगी.

12. (1) सचिव प्रत्येक सदस्य को एक अभिज्ञान-पत्र देगा जो सदस्य को फोटो तथा हस्ताक्षर से जो कि सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किये गये हों, युक्त होगा.		कूपनों से टिकिट क्रय करने की रीति.

(2) यात्रा करने का इच्छुक कोई भी सदस्य कूपन को उसमें से किसी कूपन को विलग्न किये बिना बुकिंग क्लर्क को प्रस्तुत करेगा. खुले कूपन, अर्थात कूपन पुस्तक से विलग्न कूपन, किन्ही भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किये जायेंगे.

(3) बुकिंग क्लर्क कूपन पुस्तक से उतनी संख्या में कूपन स्वयं निकालेगा जितनी कि यात्रा के लिये आवश्यकता हो, कूपन निकालने के पूर्व बुकिंग क्लर्क कूपन पुस्तक दारक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपना अभिज्ञान-पत्र दिखाये तथा वह अपने हस्ताक्षर कूपन पुस्तक में के हस्ताक्षर से उससे (हस्ताक्षर) मिलान करने के प्रयोजन के लिये कागज के टुकड़े पर करें, जहां वास्तविक रूप से अपेक्षित कूपनों से अधिक बुकिंग क्लर्क द्वारा कूपन पुस्तक से विलग्न किये जाय, वहां विलग्न कूपनों के पीछे एक यथोचित टिप्पण, जैसे 'दोषपूर्ण ढंग से विलग्न' बुकिंग क्लर्क द्वारा लिखा जावें और इस प्रकार लिखे गये टिप्पणी युक्त खुले कूपन उस स्थिति में स्वीकार किये जायेंगे जब कि वे टिकिट जारी करने के लिये प्रस्तुत किये जाये, यदि उसी कूपन को, जिससे कूपन अलग किये गये हैं, पेश किया गया हो, और उक्त कूपन पुस्तिका की उपयोगिता की कालावधि समाप्त न हो गई हो.

(4) कूपन या कूपनों के विनिमय के लिये बुकिंग क्लर्क एकल यात्रा टिकिट जैसा कि अपेक्षित हो, उस पर मुद्रित भाड़े को काट देने के पश्चात् जारी करेगा और टिकिट के पीछे लाल स्याही से शब्द "केवल सदस्यों के लिये आर.टी.कूपन" लिखेगा ;

परन्तु सदस्य के साथ चलने वाले किसी व्यक्ति के लिये --

(एक) उस समय तक टिकिट जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि उसी यात्रा के लिये सदस्य के स्वयं के लिये टिकिट जारी न किया गया हो.

(दो) सदस्य को जारी किये गये टिकिट से उच्चतर श्रेणी का टिकिट जारी नहीं किया जायेगा.

स्पष्टीकरण, -- यदि उसी सदस्य के पक्ष में जारी की गई दो विभिन्न कूपन पुस्तकों से रेल यात्रा कूपन टिकिट जारी करने के लिये प्रस्तुत किये जायं तो उसको इस नियम में उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए बुकिंग क्लर्क द्वारा स्वीकार किया जायेगा.

12-क, नियम 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रेल प्रशासन राज्य के भीतर के दो रेल्वे स्टेशनों के बीच की यात्रा के लिये सीजन टिकिट जारी करता है, यहां कोई सदस्य कूपनों के विनिमय में ऐसा टिकिट क्रय करने का हकदार होगा, सीजन टिकिट से संबंधित किराये की संगणना, विधिमान्यता की कालावधि किराये की वापसी तथा अन्य विषय उन्हीं शर्तों द्वारा विनियमित होंगे जैसे कि रेल प्रशासन द्वारा जनसाधारण के लिये समय-समय इस निमित्त अधिकथित की जाय.

12. ख. नियम 12-क के अधीन क्रय किये गये किसी सीजन टिकिट के संबंध में नियम 12, 13, 16, 17, 18, 19, तथा 20 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.]

13. कोई भी सदस्य जब कि वह नियम 12 के अधीन उसको जारी किये गये टिकिट से यात्रा कर रहा हो, अपने साथ अपना अभिज्ञान पत्र रखेगा जिसमें सचिव द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किया गया उसका फोटो चित्र होगा और उसे जब कि रेल्वे प्राधिकारियों द्वारा मांग की जाय, पेश करेगा.	सदस्य का अभिज्ञान

14. टिकिट की उपयोगिता की कालावधि, उस तारीख को ध्यान में रखते हुए जिसकों कि वह जारी किया गया हो, वही होगी जों कि साधारण टिकिटों के लिये होती है.	रेल यात्रा कूपनों पर जारी किये गये टिकिट की उपयोगिता

15. जब उन स्टेशनों से उन स्टेशनों तक जहां तीर्थ यात्री कर या सीमाकर उद्ग्रहणीय हो, यात्रा करने के लिये रेल यात्रा कूपन के विनियमन में टिकिट जारी किया जाय तब कूपन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से तीर्थ यात्रा कर या सीमाकर नगदी में एकत्रित किया जायगा. इस प्रकार एकत्रित कर की रकम टिकिट के पृष्ठ भाग के ऊपर प्रविष्ट की जायगी.	तीर्थ यात्री कर तथा सीमा कर

16. कोई भी सदस्य ऐसा सामान निशुल्क ले जाने का हकदार होगा जो कि साधारण टिकिटों पर अनुज्ञेय है और सदस्य अतिरिक्त सामान के लिये, यदि कोई हो, संबंधित रेल प्रशासन द्वारा विहित सामान दर पर नगदी में भुगतान करेगा.	सामान

17. ऐसे रेल यात्रा कूपन पर, जिनका विनिमय न किया गया हो यात्रा करते हुए पाये जाने वाले किसी भी सदस्य के संबंध में यह समझा जायगा कि वह बिना टिकिट यात्रा कर रहा है और विहित व्यक्तियों के लिये दायी होगा, ऐसे मामलों में भाड़ों तथा अतिरिक्त प्रभारों का ऐसे सदस्य द्वारा भुगतान नगदी में किया जावेगा.	कूपन जिनका विनिमय किया गया हो.

18. रेल यात्रा कूपनों का उपयोग राज्य के भीतर और अधिनियम की धारा 5-क के अपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य के बाहर यात्रा करने वाले के लिये संबंधित रेल्वे के टिकिट घर में यात्री टिकिटों के लिये उनका (कूपनों का) विनियम करने के प्रयोजन के लिये तथा आरक्षण शुल्क, अनुपूरक अधिभारों और शयनयान अधिभारों का भुगतान करने के लिये किया जायेगा, रेल यात्रा कूपनों का उपयोग चलती हुई रेल में आरक्षण शुल्क, अनुपूरक अधिभार, शयनयान अधिभार तथा विस्तारित की गई यात्रा के प्रभारों के भुगतान के लिये भी किया जायगा.		कूपनों का उपयोग

19. रेल्वे प्रशासन एक कूपन पुस्तक को इस सबूत पर कि उन शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है जिन पर वह (कूपन-पुस्तक) जारी की गई है, अधिकृतकर सकेगा. वह ऐसा करने के पूर्व इस मामले को सचिव के लिये निर्देशित करेगा और उसका अनुमोदन ऐसे अधिहरण के लिये अभिप्राप्त करेगा, ऐसा अधिहरण किया जाने पर कूपन पुस्तकों का मूल्य सचिव को वापिस किया जायगा.		कूपनों का अधिग्रहण

20. (1) उपयोग में न लाये गये उन कूपनों के संबंध में जो कि संबंधित रेल्वे प्रशासन को सचिव द्वारा वापस किये गये हों, प्रतिदाय उपयोग में न लाये गये कूपनों के मूल्य पर 10 प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात् मंजूर किया जायगा परन्तु यह तब जब कि वे (कूपन) उनकी विधिमान्यता की कालावधि के पश्चात् एक मास के भीतर रेल्वे को वापस कर दिये जायं.		प्रतिदाय.

(2) उपयोग में न लाई गई या अंशत: उपयोग में लाई गई उन टिकिटों के संबंध में जो कि कूपनों के बदले में जारी की गई हो, प्रतिदाय उन अपवादात्मक परिस्थितियों में के सिवाय मंजूर नहीं किया जायेगा जब कि प्रतिदाय उन सामान्य रद्दकरण संबंधी प्रभारों के, जो कि विद्यमान नियमों के अधीन लागू होते हों, अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाना चाहिये.

(3) प्रतिदाय समस्त मामलों में केवल सचिव को किया जायगा और उपनियम (2) में निर्दिष्ट रद्दकरण संबंधी प्रभार भी सचिव द्वारा वहन किये जायेंगे.

21. प्रत्येक कूपन पुस्तक पर नियम 10 से 20 तक के उपबंध, दोनों के उपबंधों को भी सम्मिलित करते हुए पूर्णतया मुद्रित किये जायेंगे.		कूपन पुस्तकों पर नियम 10 से 20 तक मुद्रित किए जाएंगे

22. यदि किसी सदस्य की कूपन पुस्तक खो जाती है या चोरी हो जाती है और सदस्य उस आशय की लिखित सूचना सचिव को दे देता है और यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाता है तो वह रू. 10,000/- (रूपये दस हजार) तक मूल्य के ऐसे कूपनों का अपलिखित कर सकेगा. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा के गठन से प्रारंभ होने वाली तथा उसके विघटन पर समाप्त होने वाली कालावधि के बीच केवल एक बार ऐसे सदस्य के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग करेगा.

5. परंतु "सदस्य की मृत्यु होने की दशा में अध्यक्ष मृत सदस्य के परिवार से प्राप्त लिखित जानकारी के आधार पर शेष रकम अपलिखित कर सकेगा"

''अनुसूची''

प्ररूप

[नियम 9(1) (ख) देखिये]

सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये गये रेल अभिवहन कूपनों द्वारा की गई यात्रा का विवरण घोषणा

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.. सदस्य, विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... एतद द्वारा घोषित करताहूं/करती हूं कि :-

(एक) .... रूपये की कूपन क्रमांक ....(राज्य के भीतर यात्रा के लिए)

(दो) .... रूपये की कूपन पुस्तक क्रमांक .... (राज्य के बाहर यात्रा के लिये)

मेरे द्वारा और मेरे साथ जाने वाले व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई गई है और उसके प्रतिपूर्ण वापिस कर दिये गये हैं. मैंने और मेरे साथ जाने वाले व्यक्ति ने राज्य के भीतर .... कि.मी., राज्य के बाहर .... कि.मी. की यात्रा की है.

मैं, एतदद्वारा, राज्य के भीतर यात्रा के लिये .... रूपये के तथा राज्य के बाहर यात्रा रूपये के अनुपयोजित कूपन लौटाता/लौटाती हूं

....

सदस्य के हस्ताक्षर

तारीख ....

कृपया नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार अभिवहन कूपन जारी करें :-

(1) राज्य के भीतर यात्रा हेतु कूपन पुस्तक — स्वयं सदस्य तथा उसके साथ जाने वाले व्यक्ति के लिये, रूपये .... मूल्य की ;

(2) राज्य के बाहर यात्रा हेतु कूपन पुस्तक — स्वयं सदस्य तथा उसके साथ जाने वाले व्यक्ति के लिये, रूपये .... मूल्य की ;

जारी की गई
लिपिक,

....
अधिकारी."

मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996

म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17 जनवरी 1996 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 99-2 (एक)-84-अड़तालीस-95 (सं.का.) दिनांक 8 जनवरी 1996.

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996 है,

(2) ये नियम 26 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं, -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1992 (क्रमांक 7 सन् 1973),

(ख) "कूपन पुस्तक" से अभिप्रेत है रेल यात्रा कूपन पुस्तक जो किसी भूतपूर्व सदस्य को जारी की गई हो ;

(ग) "भूतपूर्व सदस्य" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यकित ;

(घ) "प्रमुख सचिव" से अभिप्रेत है प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा तथा उसमें सम्मिलत है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाय.

3. भूतपूर्व सदस्यों को कूपन पुस्तकों का दिया जाना, -- अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को सचिव द्वारा कूपन पुस्तकों के सेट दिये जायेंगे जो उसे प्रथम श्रेणी द्वारा या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ किसी भी रेल से, --

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के यात्रा करने के लिये, और

(दो) राज्य के बाहर किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान 3000 किलो मीटर तक की यात्रा करने के लिये, जो नियम-11 के उपबंधों के अनुसार संगणित की जायेगी. हकदार बनायेगी :

परंतु यदि कोई भूतपूर्व सदस्य किसी अन्य हैसियत से केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा उनके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकारी से रेल सुविधाओं का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उक्त रेल सुविधाओं के त्याग की घोषणा प्ररूप "ख" में प्रस्तुत नहीं कर देता.

4. कूपन पुस्तकों के प्रदाय के लिये अध्यपेक्षा, -- (1) भूतपूर्व सदस्यों द्वारा इन नियमों के अनुसार उपयोग करने हेतु कूपन पुस्तकों के प्रदाय के लिये, जब कभी आवश्यक हो सचिव द्वारा महाप्रबंधक, मध्य रेल्वे, मुम्बई को अध्यपेक्षा की जायेगी.

2. ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, महाप्रबंधक, मध्य रेल्वे, मुम्बई, सचिव को प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान कूपन की पुस्तके या द्वितीय श्रेणी कूपन की पुस्तकें, जिनकी उपयोग भूतपूर्व सदस्यों द्वारा और उनके साथ चल रहे व्यक्तियों द्वारा किसी भारतीय रेल में यात्रा करने के लिये किया जा सकता है, प्रमुख सचिव को प्रदाय करेगा और मध्यप्रदेश राज्य के प्रति आवश्यक विकलन करेगा.

5. धन मूल्य जिसकी कि कूपन पुस्तकें उपलब्ध होगी, -- (1) कूपन, पुस्तकों के रूप में उपलब्ध होंगे, प्रत्येक कूपन पुस्तक में धन मूल्य कूपन निम्नानुसार अन्तर्विष्ट होंगे :-

(1)	8 कूपन प्रत्येक 50 रूपये का	400.00
	12 कूपन प्रत्येक 25 रूपये का	300.00
	20 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	200.00
	16 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	80.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	20.00

	रूपये	1000.00"
(2)	8 कूपन प्रत्येक 25 रूपये का	200.00
	12 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	120.00
	28 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	140.00
	40 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	40.00

	रूपये	500.00"
(3)	4 कूपन प्रत्येक 25 रूपये का	100.00
	4 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	40.00
	8 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	40.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	20.00

	रूपये	200.00"
(4)	4 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	40.00
	10 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	50.00
	10 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	10.00

	रूपये	100.00

(2) प्रत्येक कूपन पुस्तक पर पुस्तक क्रमांक और उसमें के प्रत्येक कूपन पर पुस्तक क्रमांक तथा अनुक्रमानुसार कूपन क्रमांक अंकित किये जायेंगे.

6. कूपन पुस्तकों की कीमत, -- प्रत्येक कूपन पुस्तक की कीमत वही होगी जो रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय.

7. कूपन पुस्तकों पर प्रमाण-पत्र, -- प्रत्येक कूपन पुस्तक में प्रमुख सचिव द्वारा दिया गया निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अन्तर्विष्ट होगा अर्थात् :-

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... मध्यप्रदेश विधान सभा के/की भूतपूर्व शयनयान/द्वितीय श्रेणी शयनयान/द्वितीय श्रेणी के टिकिट जारी किए जाएं जिसके द्वारा के अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वारा अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और मध्यप्रदेश राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष में केवल 3,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिये हकदार होंगे/होंगी.

भूतपूर्व सदस्य/सदस्यों के हस्ताक्षर

अभिप्रमाणित

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

8. कूपन पुस्तकें जारी करने के पूर्व की जाने के लिये अपेक्षित बातें, -- (1) जिस भूतपूर्व सदस्य को कूपन पुस्तक जारी की जा रही हो उस का नाम उसके (कूपन पुस्तक के) जारी किये जाने के पूर्व सचिव द्वारा उस पर लिखा जायगा.

(2) सचिव ऐसी कोई कूपन पुस्तक जारी किये जाने के पूर्व निम्नलिखित घोषणा को (जो कि प्रत्येक ऐसी पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रित होगी) भूतपूर्व सदस्य से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित करवायेगा, अर्थात्:-

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी .... एतदद्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि रियायत का उपयोग मेरे द्वारा तथा मेरे साथ चल रहे एक व्यक्ति द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर और राज्य के बाहर उन यात्राओं के लिये किया जायगा जो कि मुझे मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञेय है."

अनुप्रमाणित

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

....
भूतपूर्व सदस्य के हस्ताक्षर

9. एक समय पर उपयोग में लाई जाने वाली कूपन पुस्तकों की संख्या तथा उनकी उपलब्धता, -- (1) (क) कूपन पुस्तकें एक समय में उतने धन मूल्य की जारी की जायेंगी जो किसी भूतपूर्व सदस्य को तथा उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति को राज्य के भीतर 3,000 किलोमीटर से अनाधिक तथा राज्य के बाहर 1500 किलोमीटर से अनधिक की यात्रा के लिये हकदार बनाती हो ;

(ख) भूतपूर्व सदस्य से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह जारी किए, गए कूपनों से की गई यात्रा, यात्रा की तारीखें, कहां से कहां तक की यात्रा की गई आदि के ब्यौरे अनुसूची में दिए गए प्ररूप क में प्रस्तुत करें, भूतपूर्व सदस्यों को नई कूपन पुस्तकें, सचिव का यह समाधान हो जाने के पश्चात् जारी की जाएंगी कि ऐसे भूतपूर्व सदस्य को पूर्व में जारी गई कूपन पुस्तकें ऐसे भूतपूर्व सदस्य द्वारा उपयोग कर ली गई है और कूपन पुस्तकों के प्रतिपर्ण वापस प्राप्त हो गए हैं.

(ग) राज्य के भीतर यात्रा हेतु तथा राज्य के बाहर यात्रा हेतु कूपन पुस्तकें विभिन्न रंगों में होगी ;

(घ) जहां उपयोग में न लाये गये कूपन विधिमान्यता की कालावधि की समाप्ति के पूर्व भूतपूर्व सदस्य द्वारा लौटाए नहीं जाते हैं वहां उनकी कीमत प्रमुख सचिव द्वारा भूतपूर्व सदस्य से वसूल की जाने योग्य होगी.

(2) कूपन पुस्तक केवल उस भूतपूर्व सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध रहेगी जिसका नाम उस पर विनिर्दिष्ट किया गया हो.

(3) कूपन पुस्तक किसी भी तारीख से जारी की जा सकेगी तथा ऐसी तारीख तक विधिमान्य रहेगी जैसा कि रेल प्रशासन द्वारा कूपनों पर वर्णित किया जाए.

(4) प्रमुख सचिव प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को इन नियमों के अधीन जारी की गई कूपन पुस्तकों का लेखा रखेगा.

(5) यदि प्रमुख सचिव का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (3) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किये गये रेल अभिवहन कूपनों दुरूपयोग को रोकने तथा उनके उचित लेखा रखने के संबंध में आवश्यक अनुदेश, अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त करके जारी कर सकेगा.

(6) यदि प्रमुख सचिव का यह समाधान हो जाता है कि कोई भी भूतपूर्व सदस्य उसके जारी किए गए रल यात्रा कूपनों का दुरूपयोग कर रहा है या उसने उनका दुरूपयोग किया है तो वह अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रेल्वे कूपन, प्रत्याहरित कर सकेगा और तदुपरि ऐसा भूतपूर्व सदस्य धारा 5-क की उपधारा (3) के अधीन रेल कूपनों के लिए हकदार नहीं रहेगा.

(7) यदि किसी भूतपूर्व सदस्य की कूपन पुस्तक खो जाती है या चोरी हो जाती है और भूतपूर्व सदस्य उस आशय की लिखित सूचना प्रमुख सचिव को दे देता है और यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है तो वह रूपये 5000/- (रूपये पांच हजार) तक मूल्य के ऐसे कूपनों को अपलिखित कर सकेगा, अध्यक्ष, ऐसे भूतपूर्व सदस्य के संबंध में, केवल एक बार इस शक्ति का प्रयोग कर सकेगा ;

परंतु भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु की दशा में अध्यक्ष रूपये 5,000/- तक के मूल्य के कूपनों को अपलिखित कर सकेगा.

10. कूपन पुस्तक तथा कूपन अहस्तांतरणीय होगे, -- (1) इन नियमों के अधीन जारी की गई कूपन पुस्तके तथा उनमें के कूपन अहस्तान्तरणय होंगे और वे केवल उन्ही व्यक्तियों द्वारा यात्राओं के लिये उपयोग में लाये जायेंगे, जिनके कि लिये वे जारी किये गये हो.

(2) किसी व्यक्ति के भूतपूर्व सदस्य न रहने की दशा में, इन नियमों के अधीन जारी कूपन पुस्तकें सचिव को वापस कर दी जाएंगी.

(11) राज्य के बाहर की यात्रा की संगणना किस प्रकार की जाएगी, -- राज्य के बाहर की यात्रा की संगणना निम्नानुसार की जायगी:-

(1) राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान तक केवल उतनी यात्रा, जितनी कि राज्य के भीतर के अंतिम रेल्वे स्टेशन तथा राज्य के बाहर के गंतव्य स्थान के बीच की यात्रा हो.

(2) राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर की किसी स्थान तक की केवल उतनी यात्रा जितनी कि राज्य के बाहर प्रस्थान के स्टेशन से राज्य के भीतर के प्रथम रेल्वे स्टेशन के बीच की यात्रा हो.

12. कूपनों से टिकिट क्रय करने की रीति, -- (1) प्रमुख सचिव प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को एक पहचान-पत्र उपलब्ध कराएगा जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित भूतपूर्व सदस्य का फोटो और भूतपूर्व सदस्य के हस्ताक्षर होगे.

(2) यात्रा करने का इच्छुक कोई भी भूतपूर्व सदस्य, कूपन पुस्तक को उस में से किसी कूपन को अलग किये बिना बुकिंग क्लर्क को प्रस्तुत करेगा, खुले कूपन, अर्थात् कूपन पुस्तक से अलग कूपन, किन्हीं भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किये जायेंगे.

(3) बुकिंग क्लर्क कूपन पुस्तक से उतनी संख्या में कूपन स्वयं निकालेगा जितनी कि यात्रा के लिये आवश्यक हो कूपन निकालने के पूर्व बुकिंग क्लर्क कूपन पुस्तक धारक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपना पहचान-पत्र दिखाये तथा वह कूपन पुस्तक में के उसके हस्ताक्षर से मिलान करने के प्रयोजन के लिये अपने हस्ताक्षर कागज के टुकड़े पर करें, जहां वास्तविक रूप से अपेक्षित कूपनों से अधिक कूपन बुकिंग क्लर्क द्वारा कूपन पुस्तक से अलग किये जाय, वहां अलग किए गए कूपनों के पीछे बुकिंग क्लर्क द्वारा एक यथोचित टिप्पणी, जैसे "दोषपूर्ण" ढंग से अलग किया गया' लिखा जाए और इस प्रकार लिखे गये टिप्पणी युक्त खुले कूपन उस स्थिति में स्वीकार किये जायेंगे जब कि वे टिकिट जारी करने के लिये प्रस्तुत किये जायें, यदि उसी कूपन पुस्तक को, जिससे कूपन अलग किये गये हैं, पेश किया गया हो, और उक्त कूपन पुस्तक की विधिमान्यता की कालावधि समाप्त न हो गई हो.

(4) कूपन या कूपनों के विनियम पर बुकिंग क्लर्क, एकल यात्रा टिकिट जैसा कि अपेक्षित हो, उस पर मुद्रित भाड़े को काट देने के पश्चात् जारी करेगा और टिकिट के पीछे लाल स्याही से केवल शब्द "भूतपूर्व सदस्यों के लिये आर.टी. कूपन" लिखेगा ;

परंतु भूतपूर्व सदस्य के साथ चलने वाले किसी व्यक्ति के लिये --

(एक) तब तक टिकिट जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि उसी यात्रा के लिये भूतपूर्व सदस्य को स्वयं के लिये टिकिट जारी न किया गया हो,

(दो) भूतपूर्व सदस्य को जारी किये गये टिकिट से उच्चतर श्रेणी का टिकिट जारी नहीं किया जायेगा

स्पष्टीकरण, -- यदि किसी भूतपूर्व सदस्य के पक्ष में जारी की गई दो विभिन्न कूपन पुस्तकों से रेल यात्रा टिकिट जारी करने के लिये कूपन प्रस्तुत किय जायं तो उसको इन नियमों में उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उन्हें बुकिंग क्लर्क द्वारा स्वीकार किया जायेगा.

13. सीजन टिकटों से संबंधित कूपनों का विनिमय, किराये की संगणना, विधि मान्यता की कालावधि आदि, -- (1) नियम 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रेल प्रशासन, राज्य के भीतर के दो रेल्वे स्टेशनों के बीच की यात्रा के लिए सीजन टिकिट जारी करता है, वहां कोई भूतपूर्व सदस्य कूपनों के विनिमय में ऐसा टिकिट क्रय करने का हकदार होगा, सीजन टिकिट से संबंधित किराये की संगणना, विधि मान्य की कालावधि, किराये की वापसी तथा अन्य विषय उन्हीं शर्तों द्वारा विनियमित होंगे जैसे कि रेल प्रशासन द्वारा जन साधारण के लिये समय-समय पर इस निमित अधिकथित की जाए.

(2) अपनियम (1) के अधीन क्रय किए गए किसी सीजन टिकिट के संबंध में नियम 12, 14, 17, 18, 19, 20 और 21 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

14. भूतपूर्व सदस्य की पहचान, -- कोई भी भूतपूर्व सदस्य जब कि वह नियम 12 के अधीन उसको जारी किए गए टिकिट से यात्रा कर रहा हो, अपने साथ अपना पहचान पत्र रखेगा जिसमें प्रमुख सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किया गया उसका फोटो होगा और रेल्वे प्राधिकारियों द्वारा मांग की जाने, पर उसे पेश करेगा.

15. रेल यात्रा कूपनों पर जारी किए गए टिकट की उपलब्धता, -- टिकट की उपलब्धता की कालावधि, उस तारीख को ध्यान में रखते हुए जिसको कि वह जारी किया गया हो, वही होगी जो कि साधारण टिकटों के लिए होती है.

16. तीर्थयात्री कर तथा सीमा कर, -- जब उन स्टेशनों से उन स्टेशनों तक, जहां तीर्थ यात्री कर या सीमाकर उद्ग्रहणीय हो, यात्रा करने के लिए रेल यात्रा कूपन के विनियम में टिकट जारी किया जाये तब कूपन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से तीर्थयात्री कर या सीमाकर नगदी में संग्रहित किया जाएगा. इस प्रकार एकत्रित कर की रकम प्रविष्टि टिकट पर की जाएगी.

17. सामान, -- कोई भी भूतपूर्व सदस्य ऐसा सामान नि:शुल्क ले जाने का हकदार होगा जो कि साधारण टिकटों पर अनुज्ञेय है और भूतपूर्व सदस्य अतिरिक्त सामान यदि कोई हो, के लिए, संबंधित रेल प्रशासन द्वारा विहित समान दर पर नगदी में भुगतान करेगा.

18. कूपन जिनका विनिमय न किया गया हो, -- कोई भूतपूर्व सदस्य जो ऐसे रेल यात्रा कूपन पर, जिनका विनिमय किया गया हो, यात्रा करते हुए पाया जाए तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह बिना टिकिट यात्रा कर रहा है और वह विहित शास्तियों के लिए दायीं होगा. ऐसे मामलों में ऐसे भूतपूर्व सदस्य द्वारा भाड़ों तथा अतिरिक्त प्रभारों का नगद भुगतान किया जाएगा.

19. कूपनों का उपयोग, -- राज्य के भीतर और अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए रेल यात्रा कूपनों का उपयोग, संबंधित रेल्वे के टिकिट घर में यात्री टिकिटों के लिए उनका (कूपनों का) विनिमय करने के प्रयोजन के लिए उनका (कूपनों का) विनिमय करने के प्रयोजन के लिये तथा आरक्षण शुल्क, अनुपूरक अधिभारों और शयनयान अधिभारों का भुगतान करने के लिए, किया जाएगा, रेल यात्रा कूपनों का उपयोग चलती हुई रेल में आरक्षण शुल्क, अनुपूरक अधिभार, शयनयान अधिभार तथा विस्तारित की गई यात्रा के प्रभारों के भुगतान के लिए भी किया जाएगा.

20. कूपनों का अधिग्रहण -- रेल्वे प्रशासन किसी कूपन पुस्तक को, इस सबूत पर कि इन शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है जिन पर वह (कूपन-पुस्तक) जारी की गई है, अधिकृत कर सकेगा. ऐसा करने के पूर्व वह इस मामले को प्रमुख सचिव को निर्दिष्ट करेगा और ऐसे अधिहरण के लिये उसका अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ऐसे अधिहरण पर कूपन पुस्तकों का मूल्य सचिव को वापिस किया जायेगा.

21. प्रतिदाय--(1) उपयोग में न लाये गये उन कूपनों के संबंध में जो कि संबंधित रेल्वे प्रशासन को प्रमुख सचिव द्वारा के वापस किए गए हो, प्रतिदाय उपयोग में न लाये गये कूपनों के मूल्य पर 10 प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात् मंजूर किया जायेगा परंतु यह तब जब कि ये (कूपन) उनकी विधिमान्यता की कालावधि के पश्चात् एक मास के भीतर रेल्वे को वापस कर दिए जाएं.

(2) उपयोग में न लाई गई या अंशत: उपयोग में लाई गई उन टिकटों के संबंध में, जो कि कूपनों के बदले में जारी की गई हों पर प्रतिदाय उन अपवादात्मक परिस्थितियों के सिवाय मंजूर नहीं किया जाएगा जब कि प्रतिदाय उन सामान्य रद्दकरण संबंधी प्रभारों के, जो कि विद्यमान नियमों के अधीन लागू होते हों, अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाना चाहिए.

(3) समस्त मामलों में प्रतिदाय केवल प्रमुख सचिव को किया जाएगा और उपनियम (2) में निर्दिष्ट रद्दकरण संबंधी प्रभार भी प्रमुख सचिव द्वारा वहन किए जाएंगे.

22. कूपन पुस्तकों पर नियम 10 से 21 तक मुद्रित किए जाएंगे, -- प्रत्येक कूपन पुस्तक पर, नियम 10 से 21 तक के उपबंध, दोनों उपबंधों को भी सम्मिलित करते हुए, पूर्णतया मुद्रित किए जाएंगे:-

अनुसूची

प्ररूप "क"

[नियम 9(1) (ख) देखिए]

भूतपूर्व सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये गये रेल अभिवहन कूपनों द्वारा की गई यात्रा का विवरण

भूतपूर्व सदस्य का नाम .... .लेखा क्रमांक ....

अनुक्रमांक	रेल्वे कूपन पुस्तक क्रमांक	यात्रा की तारीख	कहां से	कहां तक	श्रेणी जिसमें यात्री की गई	भूतपूर्व सदस्य के साथ जाने वाले व्यक्ति ने किस श्रेणी में यात्रा की	अन्य विशिष्टियां जैसे यात्रा का रदद्करण या कूपन के चोरी जाने के बाद में घोषणा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

यदि कूपन पुस्तक में कूपन शेष बचे हैं तो उनका मूल्य ....

तारीख

हस्ताक्षर,

भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा,

कूपया नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार रेल अभिवहन कूपन जारी करें :-

1. राज्य के अंदर यात्रा हेतु कूपन पुस्तक — स्वयं भूतपूर्व सदस्य तथा उसके साथ जाने वाले व्यक्ति के लिए रूपये ....

2. राज्य के बाहर अंदर यात्रा हेतु कूपन पुस्तक — स्वयं भूतपूर्व सदस्य तथा उसके साथ जाने वाले व्यक्ति के लिए रूपये ....

जारी किए गए लिपिक

अधिकारी

प्ररूप ''ख''

(नियम 3 का परन्तु देखिए)

मैं, एतदद्वारा घोषित करता हूं/करती हूं कि मैं भूतपूर्व सदस्य की हैसियत से भिन्न किसी अन्य हैसियत से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकारी से रेल सुविधाएं प्राप्त नहीं कर रहा हूं/कर रही हूं.

अभिप्रमाणित

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

भूतपूर्व सदस्य के हस्ताक्षर,

,

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन नियम, 2000

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 2471-एक (2) 126-अड़तालीस/2000, दिनांक 20.11.2000 में प्रकाशित

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन नियम 2000 है.

(2) ये नियम, 1 दिसंबर, 1998 से प्रवत्त हुए समझे जाएंगे.

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यता अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) ;

(ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(ग) 'प्रमुख सचिव' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रमुख सचिव तथा उसमें सम्मिलित है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत किया जाए. '.

3. कुटुम्ब पेंशन प्रदान करना.- प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा-6-ख के अधीन पेंशन का हकदार हो, प्रमुख सचिव को, इन नियमों से संलग्न प्ररूप-क में आवेदन करेगा. आवेदन के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ की तीन प्रतियां तथा तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर) संलग्न किए जाएंगे.

4. पेंशन की मंजूरी.- (1) प्रमुख सचिव, आवेदन की अंतर्वस्तुओं को सत्यापित करेगा या सत्यापित करवायेगा और उसका यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक, अधिनियम की धारा 6-ख के अधीन पेंशन के लिए हकदार है, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए प्ररूप-ग में पेंशन मंजूर करने का आदेश जारी करेगा, -

(क) अधिनियम की धारा-ख के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति का नाम ;

(ख) पेंशन की रकम ;

(ग) वह तारीख जिससे, ऐसा व्यक्ति पेंशन के लिए हकदार होगा ;

(घ) वह खजाना, जिसके माध्यम से भुगतान किया जाएगा.

2. पेंशन मंजूर करने के आदेश की एक प्रति महालेखाकार, मध्यप्रदेश को अग्रेषित की जाएगी.

5. पेंशन भुगतान आदेश.- (1) महालेखाकार-एक, मध्यप्रदेश, मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर, उस खजाने के, जिसके माध्यम से पेंशन संवितरित की जाना हो, खजाना अधिकारी को प्ररूप 'ख' में पेंशन भुगतान आदेश, आवेदक की सूचना के अधीन जारी करेगा.

(2) खजाने द्वारा पेंशन का भुगतान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 'घ' में जारी किए गए प्रमाण पत्र को पेश करने के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए 'सक्षम अधिकारी' कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई प्रथम श्रेणी अधिकारी या संसद अथवा मध्यप्रदेश विधान सभा का कोई आसीन सदस्य या मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड जिल्द - एक के नियम 363 में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी होगा.

(3) अधिनियम की धारा 6-ख के अधीन पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी को निरर्हित करने वाली किसी घटना के घटित होने पर पेंशनभोगी, प्रमुख सचिव महालेखाकार, जिसने पेंशन भुगतान आदेश जारी किया हो तथा संबंधित खजाना अधिकारी को घटना की सूचना तत्काल देगा.

'प्ररूप 'क'

(नियम 3 देखिए)

कुटुम्ब पेंशन के लिए आवेदन

(मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-ख देखिए)

प्रेषक :

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

प्रति,

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल.

विषय : मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... जिन्होंने तारीख .... से .... तक मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र धारा 6-ख के अधीन कृपया मुझे कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने की कार्रवाई की जाए तथा मैं कुटुम्ब पेंशन .... स्थित सरकारी खजाने से आहरित करना चाहता/चाहती हूँ।

2. मैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी/संसद या मध्यप्रदेश विधान सभा के किसी आसीन सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न करता/करती हूँ :-

(एक) अधोहस्ताक्षरी के तीन नमूना हस्ताक्षर.

(दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां.

(तीन) मृत्यु प्रमाण-पत्र.

(चार) अन्य वारिसों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र.

(पांच) नातेदारी प्रमाण-पत्र.

3.(क) मेरा वर्तमान पता .... है।

(ख) मेरा स्थाई पता .... है।

4. मैं, एतद् द्वारा, यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है।

स्थान : ....   भवदीय

तारीख : ....

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

लेखा शाखा

क्र. .... वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन,   भोपाल, तारीख ....

कार्यालय लेखा अधिकारी (पी.आर. -1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश लेखा भवन, ग्वालियर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपसचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

'प्ररूप 'ख'

[नियम 5 (1) देखिए]

कार्यालय महालेखाकार-1, मध्यप्रदेश

क्र................. तारीख ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... ने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में .... से .... तक सेवा की थी और मृत्यु हो जाने के कारण ऊपर वर्णित कुटुम्ब पेंशन का भुगतान रूपये .... प्रतिमास दिनांक .... से उसके वारिस श्री/श्रीमती/कुमारी ....

....

लेखा अधिकारी

'प्ररूप 'ग'

(नियम 4 देखिए)

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

क्र.........वि.सं./सदस्य लेखा/पेंशन, भोपाल, तारीख ....

श्री/श्रीमती/कुमारी .... को तारीख .... से रूपये............................... केवल) प्रति मास कुटुम्ब पेंशन मंजूर की जाती है. पेंशन .... खजाने से देय होगी.

कार्यालय लेखा अधिकारी (पी.आर. -1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, ग्वालियर को अग्रेषित.

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा."

'प्ररूप 'घ'

[(नियम 5 (2) देखिए]

प्रमाण-पत्र

क्र. .... वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन, भोपाल, तारीख ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...................................... श्री/श्रीमती/ कुमारी .... (विधान सभा का पूर्व सदस्य) के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/माता/पिता हैं,

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तारीख .... तहसील ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

बादल के. दास, प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) में समय-समय पर हुए संशोधन का सार

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के नाम (साइटेशन) में, शब्द "वेतन तथा भत्ता" के स्थान "वेतन, भत्ता तथा पेंशन" स्थापित किये जायं.	नाम (साइटेशन) का संशोधन

मूल अधिनियम के लम्बे नाम में, शब्द "वेतन तथा भत्तों" के स्थान पर शब्द "वेतन, भत्तों तथा पेंशन" स्थापित किये जायं.	लम्बे नाम का संशोधन

धारा 1 का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 63 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 1 में, शब्द "वेतन तथा भत्ता" के स्थान पर शब्द "वेतन, भत्तों तथा पेंशन" स्थापित किये जायं.	धारा 1 का संशोधन

(2) वर्ष 1980 में क्रमांक 20 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 (क्रमांक 30 सन् 1978) की धारा 1 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जायं और उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वह सदैव से प्रतिस्थापित की गई है, अर्थात् :-	मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 30 सन् 1978 का संशोधन

"(2) यह 24 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त होगा."

धारा 2 का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किये जायें, अर्थात् :-

(ख-1) "सम्मिलन" से अभिप्रेत है, विधान सभा का सम्मिलन या किसी समिति का कोई सम्मिलन ;

(ख-2) "सम्मिलन का स्थान" से अभिप्रेत है, भोपाल या ऐसा अन्य स्थान जो किसी सम्मिलन के लिए नियुक्त किया जाय."

धारा 3 का संशोधन

(1) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्‍वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "चार सौ" के स्थान पर शब्द "छह सौ" स्थापित किये जाएं.

(2) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्‍वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "छह सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किये जाएं.

(3) वर्ष 1997 में क्रमांक 23 द्‍वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ" स्थापित किये जाएं.

(4) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्‍वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "चार हजार" स्थापित किये जाएं.

(5) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्‍वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "नौ हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किये जाएं.

(6) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्‍वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "तीस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा 4 का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में "दो सौ" के स्थान पर शब्द "तीन सौ" स्थापित किये जायें.

(2) वर्ष 1981 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें धारा 4 का इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 4 में शब्द "तीन सौ" के स्थान पर शब्द "पांच सौ" स्थापित किये जाएं.

(3) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास" स्थापित किये जाएं.

(4) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "सात सौ पचास" के स्थान पर शब्द "एक हजार दो सौ पचास" स्थापित किये जाएं.

(5) वर्ष 1992 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 4 में शब्द "एक हजार दो सौ पचास" के स्थान पर शब्द "तीन हजार" स्थापित किये जाएं.

(6) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "तीन हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" स्थापित किये जाएं.

(7) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "आठ हजार" के स्थान पर शब्द "बारह हजार" स्थापित किये जाएं.

(8) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "बारह हजार" के स्थान पर शब्द "सोलह हजार" स्थापित किये जाएं.

(9) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "सोलह हजार" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार" स्थापित किये जाएं.

(10) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "पच्चीस हजार" के स्थान पर शब्द "पैंतीस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा 4 ''क'' का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाय, अर्थात :-

"4-क. प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन भत्ते के रूप में एक सौ रूपये प्रतिमास दिये जायेंगे, चाहे उसके निवास स्थान पर टेलीफोन हो या न हो."

(2) वर्ष 1981 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "एक सौ" के स्थान पर शब्द "तीन सौ" स्थापित किए जाएं.

(3) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "तीन सौ" के स्थान पर शब्द "पांच" सौ स्थापित किए जाएं.

(4) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार दो सौ" स्थापित किए जाएं.

(5) वर्ष 1992 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "एक हजार दो सौ" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ" स्थापित किए जाएं.

(6) वर्ष 1997 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "दो हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "चार हजार" स्थापित किए जाएं.

(7) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "चार हजार" के स्थान पर शब्द "सात हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा 4 ''ख'' का संशोधन

(1) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएं अर्थात -

"4-ख. प्रत्येक सदस्य को दो हजार रूपये प्रतिमास लेखन सामग्री तथा डाक भत्ता दिया जायेगा.

मूल अधिनियम की धारा 4-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएं अर्थात -
(2) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

4-ख. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, शब्द "दो हजार" के स्थान पर शब्द "चार हजार" स्थापित किए जायं.

(3) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, शब्द "चार हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा 4 ''ग'' का संशोधन

(1) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

"4-ग. प्रत्येक सदस्य को दिनांक 22 फरवरी, 2001 से एक हजार रूपये प्रतिमास की दर से तथा उसके अर्दली भत्ता. पश्चात् दिनांक 3 अक्टूबर, 2007 से दो हजार रूपये प्रतिमास की पुनरीक्षित दर से अर्दली भत्ते का भुगतान किया जाएगा.".

(2) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

4-ग. प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रूपये प्रतिमास अर्दली भत्ता दिया जायेगा.

(3) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-ग में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाए.

(4) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात :-
"4-ग. प्रत्येक सदस्य को पंन्द्रह हजार रूपये प्रतिमाह कम्प्यूटर ऑपरेटर/अर्दली भत्ता दिया जायेगा."

धारा 5 का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 5 में :-

(एक) शब्द "अनन्तरणीय पास" के स्थान पर शब्द "अहस्तान्तरणीय बस पास" स्थापित किये जायें.

(दो) शब्द "किंतु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी सदस्य को देय किसी यात्रा भत्ते के भुगतान को प्रभावित नहीं करेगी," का लोप किया जाय.

(2) वर्ष 1981 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:क्रमांकित किया जाय और इस प्रकार पुन:क्रमांकित उपधारा (1) के पश्चात् किन्तु विद्यमान स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाय, अर्थात:-

" प्रत्येक सदस्य को एक अतिरिक्त नि:शुल्क अहस्तान्तणीय बस पास दिया जायगा जो उसके साथ जाने वाले उसके पति/उसकी पत्नी या परिचारक को, उसके साथ ऐसी यात्रा करने के लिए हकदार बनाएगा जैसी कि उपधारा (1) में उपबंधित हैं.".

(3) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में, शब्द "प्रत्येक सदस्य" के पश्चात्, शब्द "और धारा 6-क की अधीन पेंशन के लिए हकदार प्रत्येक व्यक्ति" अन्त:स्थापित किए जाएं.

(4) वर्ष 1997 में क्रमांक 4 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के संशोधन, स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

"प्रत्येक सदस्य तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो द्वारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, एक अतिरिक्त नि:शुल्क अहस्तांतरणीय बस पास दिया जाएगा जो उसके साथ जाने वाले उसके पति/उसकी पत्नी या परिचारक को, उसके साथ ऐसी यात्रा करने के लिए हकदार बनाएगा ; जैसा कि उपधारा (1) में उपबंधित है ".

(5) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

प्रत्येक सदस्य को दो सौ पचास रूपये प्रतिमाह बस यात्रा भत्ता दिया जायेगा.

(6) वर्ष 2011 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

प्रत्येक सदस्य को तथा धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिए हकदार प्रत्येक व्यक्ति को पांच सौ रूपये प्रतिमास की दर से बस यात्रा भत्ता दिया जायेगा.

(7) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किए जाएं.

(8) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाए.

धारा 5 ''क'' का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाय, अर्थात :-

"5-क. (1) प्रत्येक सदस्य को उसके स्वयं के लिये प्रथम श्रेणी का एक नि:शुल्क अहस्तांतरणीय रेल पास तथा उसके साथ चलने वाले परिचारक के लिये द्वितीय श्रेणी का एक नि:शुल्क अहस्तांतरणीय रेल पास ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो कि विहित की जायें, दिया जायगा जिससे वह तथा उसके साथ चलने वाला परिचारक किसी भी रेल द्वारा :-

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के ; और

(दो) राज्य के बाहर प्रतिवर्ष केवल 3000 किलोमीटर तक की यात्रा किसी भी समय करने का हकदार हो जायगा.

(2) जब तक कि किसी सदस्य को उपधारा (1) के अधीन नि:शुल्क रेल पास नहीं दिया जाता तब तक वह धारा 6 में निर्दिष्ट किये गये प्रकार की किसी ऐसी यात्रा के लिये जो कि उसने रेल की हो, एक प्रथम श्रेणी यात्रा भाड़े के बराबर रकम पाने का हकदार होगा.

(2) वर्ष 1978 में क्रमांक 30 द्वारा संशोधन.

2. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5-क में, --

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय, अर्थात :-

"(1) प्रत्येक सदस्य को रेल कूपन दिये जायेंगे जिनसे कि वह प्रथम श्रेणी द्वारा तथा उसके साथ चलने वाला परिचारक द्वितीय श्रेणी द्वारा किसी भी रेल से, --

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के ; और

(दो) राज्य के बाहर प्रतिवर्ष केवल 3,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने का, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जायं, हकदार हो जायगा." और,

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "नि:शुल्क रेल पास" के स्थान पर शब्द "रेल कूपन" स्थापित किये जायं.

(3) वर्ष 1980 में क्रमांक 20 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक सदस्य के रेल कूपन दिये जायेंगे जो, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाय, --

(एक) सदस्य को तथा उसके पति/उसकी पत्नी, जो कि सदस्य के साथ जा रहा/जा रही हो, को प्रथम श्रेणी द्वारा : और

(दो) उस दशा में जबकि सदस्य के साथ उसका पति/उसकी पत्नी नहीं जाता/जाती है, सदस्य के जाने वाले परिचारक को द्वितीय श्रेणी द्वारा किसी भी रेल से, --

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के ; और

(दो) राज्य के बाहर प्रतिवर्ष केवल 6,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिये हकदार बनायेंगे,".

(4) वर्ष 1985 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क की उपधारा (1) में शब्द "वर्ष" के स्थान पर शब्द "वित्तीय वर्ष" स्थापित किए जाएं.

(5) वर्ष 1991 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5-क की उपधारा (1) में शब्द "तथा उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति को प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित शयनयान अथवा द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा किसी भी रेल से" के स्थान पर शब्द "और उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति को प्रथम श्रेणी द्वारा या वातानुकूलित शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा किसी भी रेल" स्थापित किए जाएं.

(6) वर्ष 1995 में क्रमांक 34 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5-क की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अत:स्थापित की जाए, अर्थात् :-

धारा 6-क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को रेल के कूपन दिए जाएंगे जो ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, उसे प्रथम श्रेणी द्वारा अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी शयनयान या द्वितीय श्रेणी द्वारा अपनी/अपने पति या एक परिचारक के साथ किसी भी रेल से, --

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के; और

(दो) राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष केवल तीन हजार किलोमीटर तक की, यात्रा करने के लिए हकदार बनाएंगे.".

(7) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाएं अर्थात --

"(1) प्रत्येक सदस्य को रेल कूपन दिये जायेंगे जो ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जायें-

(एक) उसे अकेले प्रथम श्रेणी वातानुकूलित द्वारा; या

(दो) उसे उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति सहित प्रथम श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा किसी भी रेल से राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष केवल 6000 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए हकदार बनायेंगे।

(8) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-क में,-

(एक) उपधारा (2) में शब्द, 'एक प्रथम श्रेणी यात्री भाड़े' के स्थान पर, शब्द 'एक प्रथम श्रेणी वातानुकूलित या वातानुकूलित शयन यान यात्री भाड़े' स्थापित किये जाये;

(दो) उपधारा (3) में शब्द 'द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वितीय श्रेणी द्वारा अपनी पत्नी/पति या एक परिचारक के साथ 'के स्थान पर, शब्द 'द्वितयी श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/पति या एक परिचारक के साथ' स्थापित किये जाए ;

मूल अधिनियम की धारा 5-क में,-

(एक) उपधारा (1) में, अंक तथा शब्द "6,000 किलोमीटर" के स्थान पर अंक तथा शब्द "10,000 किलोमीटर" स्थापित किए जाए ;

(दो) उपधारा (3) में, शब्द "तीन हजार" के स्थान पर, शब्द "चार हजार" स्थापित किए जाए."

धारा 5 ''ख'' का संशोधन

(1) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"5-ख. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी सत्र में या किसी समिति किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, कोई सदस्य अपने निवास स्थान के निकटतम, विमानपत्तन से सत्र या सम्मिलन के स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है तो वह दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिये, वायुयान के किराए की प्रतिपूर्ति का, प्रथम श्रेणी के रेल किराए के दुगने के बराबर की रकम की सीमा तक, हकदार होगा".

(2) वर्ष 1992 में क्रमांक 7 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5-ख की उपधारा (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए ; और --

(एक) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1) में शब्द "प्रथम श्रेणी" के स्थान पर शब्द "वातानुकूलित शयन-यान" स्थापित किए जाएं ; और

(दो) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त: स्थापित की जाए, अर्थात :-

"(2) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां आवश्यक हो, कोई सदस्य, जो राज्य के भीतर या बाहर वायुयान से यात्रा करता है, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाएं जाएं, दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिये वायुयान के किराए की प्रतिपूर्ति हेतु उतनी रकम के लिए हकदार होगा जो वातानुकूलित शयन यान के रेल किराए के दुगुने के बराबर हो :

परंतु किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी सदस्य द्वारा धारा 5-क के अधीन राज्य के बाहर रेल द्वारा की गई यात्रा तथा इस उपधारा के अधीन राज्य के बाहर वायुयान द्वारा की गई यात्रा पर किया गया कुल व्यय छह हजार किलोमीटर के लिए वातानुकूलित शयन-यान के रेल किराए के दुगुने के बराबर की रकम से अधिक नहीं होगा."

(3) वर्ष 1997 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-ख की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

परंतु उस दशा में जबकि बैठक का स्थान रेल से जुड़ा हुआ न हो तब सदस्य अंतिम रेल्वे स्टेशन से लेकर बैठक के स्थान तक अपने द्वारा की गई यात्रा के लिए वायुयान के वास्तविक किराये के लिए हकदार होगा.".

(4) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

[(5-ख) [(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो, कोई सदस्य अपने निवास स्थान के निकटतम विमान पत्तन से सत्र या सम्मिलन के स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है, वहां वह दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए, वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा,] ;

(2) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां आवश्यक हो कोई सदस्य जो राज्य के भीतर या बाहर वायुयान से यात्रा करता है, ऐसे नियमों के अध्ययाधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाये, ऐसी यात्रा के लिए अधिकतम पदाभिहित मितव्ययी श्रेणी यात्री भाड़े के अध्ययाधीन रहते हुए दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा ;

परंतु किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी सदस्य द्वारा धारा-5 क के अधीन राज्य के बाहर रेल द्वारा की गई यात्रा तथा इस उपधारा के अधीन राज्य के बाहर वायुयान द्वारा की गई यात्रा पर किया गया कुल व्यय छह हजार किलोमीटर के लिए वातानुकूलित शयन-यान के रेल किराए के दुगुने के बराबर की रकम से अधिक नहीं होगा."

(5) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

"(3). इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां कोई सदस्य मध्यप्रदेश राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है तो वह ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसी यात्राओं की कुल संख्या प्रतिवर्ष चौंतीस से अधिक नहीं होगी.".

धारा 5 "ग" का संशोधन

(1) वर्ष 1991 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-ख के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"5-ग. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक सदस्य जो किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये या सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्यों से संबंद्ध कोई अन्य कामकाज करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने पर, स्टीमर से यात्रा करता है, वह और उसके साथ जाने वाला एक व्यक्ति दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए स्टीमर के किराए की प्रतिपूर्ति उस रकम की सीमा तक पाने का हकदार होगा, जो प्रथम श्रेणी के रेल के किराए की रकम के दुगुने के बराबर हो,".

धारा 6 का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय अर्थात् :-

"6.(1) उपधारा 2 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिये जो कि उसने राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये अपने प्राथमिक निवास स्थान से उस स्थान तक की हो, जहां कि वह सत्र या सम्मिलन किया जाता है, और ऐसे स्थान से उसके प्राथमिक निवास स्थान तक की वापसी यात्रा के लिये ऐसी दरों से जो कि वहित की जायं, यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिये जायेंगे.

(2) प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो सम्मिलन के स्थान पर या उससे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर मामूली तौर पर निवास करता है, ऐसी दरों से, जो कि विहित की जायं, दैनिक भत्ता दिया जायगा,".

धारा 6 "क" का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 63 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जा, अर्थात् :-

"6-क (1) 1. नवम्बर, 1976 से, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसने पांच वर्ष की कालावधि तक, चाहे वह कालावधि लगातार हो या न हो, मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया हो, तीन सौ रूपये प्रतिमास पेंशन दी जायगी:

परंतु जहां किसी व्यक्ति के पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोत्त रूप में कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिये तीस रूपये प्रतिमास के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन इस प्रकार दी जायगी कि जिससे ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन किसी भी दशा में चार सौ पचास रूपये प्रतिमास से अधिक न हो जाय.

स्पष्टीकरण-- इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "मध्यप्रदेश विधान सभा का सदस्य" के अंतर्गत वे व्यक्ति आवेंगे जो स्टेटस रिआर्गेनाईजेशन एक्ट 1956 (क्रमांक 37 सन् 1956) की धारा 28 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के आधार पर नवीन मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के सदस्य बन गये थे.

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिये हकदार कोई व्यक्ति (एक) भारत के राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित हो जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है या

(दो) राज्य सभा का या लोक सभा का या किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा का या किसी राज्य की किसी विधान परिषद् का या दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 (क्रमांक 19 सन् 1966) की धारा तीन के अधीन घटित की गई दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य हो जाता है या

(तीन) केंद्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम जिस पर केंद्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित हो जाता है या ऐसी सरकार निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार हो जाता है।

वहां ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन की किसी पेंशन का उस कालावधि के लिये हकदार नहीं होगा जिससे की दौरान वह ऐसा पद धारण किये रहे या ऐसे सदस्य के रूप में बना रहे या इस प्रकार नियोजित रहे या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहे ;

परन्तु जहां वह वेतन जो कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा पद धारण करने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने के कारण देय हो या खंड (तीन) में निर्दिष्ट किया गया पारिश्रमिक जो कि ऐसे व्यक्ति को देय है उपधारा (1) के अधीन उसे देय पेंशन से कम हो वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन पेंशन के रूप में अतिशेष पाने का ही हकदार होगा.

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार से इस राज्य सरकार से या किसी अन्य राज्य सरकार से या किसी ऐसे निगम, जिस पर केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई पेंशन किसी विधि के अधीन या अन्यथा पाने का भी हकदार है, तो --

(क) जहां पेंशन कि वह रकम जिसका की वह ऐसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है पेंशन की उस रकम के जिसका की वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है बराबर हो या उससे अधिक हो वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन किसी पेंशन का हकदार नहीं होगा और

(ख) जहां पेंशन की वह रकम जिसका की वह ऐसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है पेंशन की उस रकम से जिसका की वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है, कम हो वहां पेंशन की वह रकम जिसका कि वह ऐसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है पेंशन की उस रकम से जिसका की वह उस उपधारा के अधीन अन्यथा हकदार है, जितनी कम है, केवल उतनी ही रकम उस उपधारा के अधीन पेंशन के रूप में पाने के लिये ऐसा व्यक्ति हकदार (4) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये वर्षों की संख्या की संगणना करने में-

(एक) कालावधि की गणना 1 अप्रैल सन् 1952 की जायगी ;

(दो) 1 अप्रैल सन् 1952 के पूर्व की कोई भी कालावधि छोड़ दी जायगी ;

(तीन) वह कालावधि भी हिसाब में ली जायगी जिसके कि दौरान किसी व्यक्ति से मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, या संसदीय सचिव के रूप में अथवा मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान, भोपाल या विन्ध्य प्रदेश के विद्यमान राज्यों जैसे की वे स्टेट्स रिआर्गेनाईजेशन एक्ट 1956 (क्रमांक 37 सन् 1956) की धारा 9 में निर्दिष्ट किये गये है, की सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, या संसदीय सचिव के रूप अथवा मध्यप्रदेश विधान सभा के या उक्त विद्यमान राज्यों में से किसी भी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में या दोनों के रूप में कार्य मध्यप्रदेश विधान सभा में या उक्त विद्यमान राज्यों की विधान सभा में अपनी सदस्यता के आधार पर किया हो.

(2) वर्ष 1977 में क्रमांक 7 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-क की उपधारा (4) में खंड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"(दो-क) तीस दिन की या तीस दिन से कम की किसी ऐसी कालावधि को, जो कि पांच वर्ष की कालावधि पूरी होने में कम पड़ती है, नजर अंदाज कर दिया जायगा और उस संपूर्ण कालावधि की गणना इस प्रकार की जायगी मानों कि वह पांच वर्ष की कालावधि हो,".

(3) वर्ष 1981 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाय और उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उपधारा 1 जनवरी, 1981 से अन्त:स्थापित की गई है अर्थात् :-

"(3-क) यदि कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिये हकदार है, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हो और केंद्रीय सरकार से इस राज्य सरकार से या किसी अन्य राज्य सरकार से सम्मान निधि या उसी प्रकार की कोई निधि, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, के लिये भी हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति, उपधारा (2) तथा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस पेंशन के, जिसके लिये वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है, अतिरिक्त सम्मान निधि या ऐसा अन्य निधि के लिये भी हकदार होगा,".

(4) वर्ष 1986 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 6-क की उपधारा (4) के खण्ड (दो-क) में शब्द "तीस दिन की या तीस दिन से कम की" के स्थान पर शब्द "एक सौ अस्सी दिन की या एक सौ अस्सी दिन से कम की" स्थापित किए जाएं.

(5) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क में, --

(एक) उपधारा (1) में शब्द "तीन सौ" के स्थान पर शब्द "पांच सौ" स्थापित किए जाएं; और

(दो) परन्तुक में, शब्द तीस के स्थान पर शब्द पचास और शब्द "चार सौ पचास" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास" स्थापित किए जाएं.

(6) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात :-

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोत्तर रूप में कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए पचास रूपये प्रतिमास के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी,".

(7) वर्ष 1988 में क्रमांक 27 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 6-क की उपधारा (1) में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किए जाए.

(8) वर्ष 1991 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क में, --

(एक) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात :-

"(1-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश की छठी विधान सभा के ऐसे प्रत्येक सदस्य के संबंध में, जो विधान सभा की पूरी अवधि पूर्ण होने से पूर्व विधान सभा की विघटन हो जाने के कारण, पांच वर्ष की कालावधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सका है, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि उसने सदस्य के रूप में पांच वर्ष की कालावधि पूर्ण कर ली है और वह मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 19 सन् 1991) के प्रारंभ से पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा;

परन्तु यथापूर्वोक्त कोई भी सदस्य उपधारा (1) के परन्तुक में यथा उपबंधित अतिरिक्त पेंशन के लिए हकदार वास्तविक रूप से पांच वर्ष की कालावधि तक कार्य करने के पश्चात् ही होगा."

(दो) उपधारा (2) में, जहां कही भी शब्द "पारिश्रमिक" आया है, वहां उसके स्थान पर शब्द "पारिश्रमिक, मानदेय या प्रतिकर" स्थापित किए जाएं.

(9) वर्ष 1992 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए :-

"(1) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया हो, एक हजार पांच सौ रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए एक सौ रूपये प्रतिमाह के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी.

स्पष्टीकरण :-- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "मध्यप्रदेश विधान सभा का सदस्य" के अंतर्गत वे व्यक्ति आएंगे जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 37) की धारा 28 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के आधार पर नवीन मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के सदस्य बन गए थे.

(1-क) (एक) ऐसा कोई व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो और जिसने ऐसे सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर ली हो, वह इस अधिनियम के अधीन किसी पेंशन के लिए हकदार नहीं होगा यदि वह किसी निर्वाचन याचिका में किसी न्यायालय के विनिश्चय के अनुसरण में ऐसा सदस्य नहीं रह जाता है :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन और सदस्यता की समाप्ति के पूर्व किसी कालावधि के लिए ऐसे सदस्य के रूप में कार्य किया हो तो वह सदस्य समाप्ति के पूर्व की कालावधि के लिए पेंशन प्राप्त करने का हकदार बना रहेगा.

(10) वर्ष 1995 में क्रमांक 34 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क में, --

(एक) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

"(3) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति कोई अन्य पेंशन पाने का भी हकदार है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त उपधारा (1) के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा.".

(दो) उपधारा (3-क) का लोप किया जाय.

(11) वर्ष 1977 में क्रमांक 13 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्त पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की 6-क में,--

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक ऐसे व्यक्तिको, जिसने पांच वर्ष की कालावधि तक, चाहे वह कालावधि लगातार हो या न हो, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में कार्य किया हो, एक हजार पांच सौ रूपये प्रतिमास पेंशन दी जाएगी :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए एक सौ रूपये प्रतिमास के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई सदस्य विधान सभा के विघटन के कारण पांच वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने से निवारित रहा हो या जहां कोई सदस्य उप-निर्वाचन में निर्वाचित होने के कारण पांच वर्ष तक कार्य नहीं कर सका हो, वहां उसे संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने पांच वर्ष की कालावधि तक सदस्य के रूप में कार्य किया है किन्तु यह धारणा उपबंध (डिमिग प्राविजन) अतिरिक्त पेंशन उपार्जित करने के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होगा;

स्पष्टीकरण :-- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा का सदस्य के अंतर्गत वे व्यक्ति आता है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 37) की धारा 28 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के आधार पर नवीन मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के सदस्य बन गए था".

(दो) दो बार आने वाली उपधारा (1-क) का लोप किया जाए;
(तीन) उपधारा (4) के उप-खण्ड (दो-क) का लोप किया जाए.
(12) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) में, शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर, शब्द "तीन हजार" स्थापित किये जायें.

(13) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

(6) मूल अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) में,-

(एक) प्रथम पैरा में शब्द "तीन हजार रूपये" के स्थान पर शब्द "छः हजार रूपये" किए जाये;
(दो) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाये अर्थात:-

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए दो सौ रूपये प्रतिमास के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी तथा किसी सदस्य की पदावली के अंतिम वर्ष की छः मास या उससे अधिक की कालावधि को अतिरिक्त पेंशन उपार्जित करने के प्रयोजन के लिए पूर्ण वर्ष समझा जायेगा ;

14-(एक) प्रथम पेरा में शब्द "छह हजार" रूपये के स्थान पर शब्द "सात हजार" रूपये स्थापित किये जाये ;

(दो) प्रथम परन्तुक में शब्द "दो सौ" रूपये के स्थान पर शब्द "तीन सौ" रूपये स्थापित किये जाये;
(14) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

प्रारम्भिक पैराग्राफ में शब्द "सात हजार" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह हजार" स्थापित किये जाये.
प्रथम परन्तुक में शब्द "तीन सौ" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" स्थापित किये जाये.

(15) वर्ष 2013 में क्रमांक 8 द्वारा संशोधन.

6-क (1) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2012 के प्रारम्भ से प्रत्येक व्यक्ति को जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में किसी भी कालावधि के लिए कार्य किया है, पन्द्रह हजार रूपये प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जायेगा ;

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां उसे पांच वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रूपये प्रतिमास अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जायेगा और किसी सदस्य की अवधि के लिए अंतिम वर्ष की छः मास या अधिक की कालावधि अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पूर्ण वर्ष समझी जायेगा;

(16) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क में, उपधारा (1) में, -

(एक) प्रथम पैरा में, शब्द "पन्द्रह हजार" के स्थान पर, शब्द "बीस हजार" स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रथम परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात -

"परंतु यह और कि पेंशन में प्रतिवर्ष आठ सौ रूपयए प्रतिमास जोड़े जाएंगे".

धारा 6 ''ख'' का संशोधन

(1) वर्ष 1999 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

2. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की 6-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"6-ख. किसी ऐसे सदस्य के, जिसकी ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, पति या पत्नी को, यदि कोई हो, या उसके आश्रित को ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से पांत वर्ष की कालावधि तक एक हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी,".

(2) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा के स्थान पर 6-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये अर्थात :-

"6-ख, किसी ऐसे मृतक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को, यदि कोई हो, या आश्रित को जो धारा-6 क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार था उसकी मृत्यु की तारीख से ऐसी कालावधि के लिए तीन हजार रूपये प्रतिमास कुटुम्ब पेंशन दी जाएगी, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में किसी शासकीय सेवक को अनुज्ञेय है.", 7

(3) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ख में शब्द "तीन हजार" रूपये के स्थान पर "पांच हजार" रूपये स्थापित किये जाये.

(4) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ख में शब्द "पांच हजार" रूपये के स्थान पर "दस हजार" रूपये के स्थान पर "दस हजार" रूपये स्थापित किये जाये.

(5) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ख में, शब्द "दस हजार" के स्थान पर, शब्द "अठारह हजार" स्थापित किए जाएं और पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात -

"परंतु परिवार पेंशन में प्रतिवर्ष पाँच सौ रूपये प्रतिमास जोड़े जाएंगे".

धारा 6 ''ग'' का संशोधन

(1) वर्ष 2000 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"6-ग. प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा.".

(2) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 6-ग में, शब्द "और दो हजार रूपये प्रतिमास चिकित्सीय भत्ता भी दिया जाएगा", अन्त में जोड़े जाये.

(3) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "दो हजार" के स्थान पर "तीन हजार" स्थापित किये जाये.

(4) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "तीन हजार" रूपये के स्थान पर "पांच हजार" रूपये स्थापित किये जाये.

(5) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "पांच हजार" रूपये के स्थान पर "दस हजार" रूपये स्थापित किये जाये.

(6) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार" स्थापित किये जाये.

धारा 7 का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 30 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में यही और सदैव यही समझा जायगा कि उसके स्थान पर निम्नलिखित उपधारा मूल अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से स्थापित की गई है, अर्थात् :-

"(1) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य वैयक्तिक तौर पर--

(एक) राज्य सरकार द्वारा चलाये गये चिकित्सालयों में ऐसा स्थान नि:शुल्क प्राप्त करने का तथा ऐसे चिकित्सालयों में उपलभ्य ऐसा चिकित्सीय उपचार नि:शुल्क प्राप्त करने का भी हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार के नियम--निर्माण--नियंत्रण के अधीन किसी ऐसे शासकीय सेवक के स्वयं के लिये, जो कि प्रतिमास 225 रूपये या अधिक वेतन प्राप्त करता हो, स्वीकार्य होता है;

(दो) जब कि वह सरकारी कार्य से राज्य के बाहर यात्रा कर रही हो तो ऐसे सरकारी चिकित्सालय में, जो कि ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां कि वह ऐसे सरकारी कार्य से जाय, या किसी ऐसे स्थान पर स्थित हो जो उस स्थान तक की, जहां कि उसे जाना हो, उसकी यात्रा के बीच पड़ता हो, चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा;

(तीन) राज्य के बाहर, कोई विशेषित चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि चिकित्सक की राय में ऐसा विशेषित चिकित्सीय उपचार आवश्यक हो और ऐसे सदस्य ने, राज्य के बाहर ऐसे उपचार के लिये, संचालक, लोक स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, का अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया हो:

परन्तु ऐसा सदस्य खण्ड (दो) तथा (तीन) के अधीन राज्य के बाहर प्राप्त किय गये चिकित्सीय उपचार पर उसके द्वारा उपगत किये गये प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिये उस सीमा तक हकदार होगा जिस सीमा तक कि वह उस स्थिति में हकदार होता जब कि उसने ऐसा चिकित्सीय उपचार राज्य में के किसी सरकारी चिकित्सालय में कराया होता.'.

(2) वर्ष 1983 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 7 में,--

(क) उपधारा (1) को उसकी उपधारा (1-क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए;

(ख) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1-क) के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास तीन सौ रूपये का चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा.'.

(ग) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1-क) में, --

(एक) शब्द "राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1) के अधीन देय चिकित्सा भत्ता के अतिरिक्त किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गए किन्ही नियमों के अध्यधीन रहते हुए" स्थापित किए जाए; और

(दो) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात :-

"स्पष्टीकरण, -- इस धारा में "चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार" से अभिप्रेत है भरती होने पर अन्र्तवासी रोगी के रूप में उपचार.".

(घ) पार्श्र्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्र्वशीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार.".

(ड़) उपधारा (2) में आने वाले शब्द, कोष्ठक तथा अंक और अल्पविराम "जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियम न बना दिये जायं," के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अल्पविराम, अर्थात् :-

"जब तक कि उपधारा (1-क) के अधीन नियम न बना दिए जायं, किन्तु उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, "स्थापित किए जाएं.

(3) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 का उपधारा (1) में शब्द "तीन सौ" के स्थान पर शब्द "चार सौ" स्थापित किए जाएं.

(4) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 का उपधारा (1) में शब्द "चार सौ" के स्थान पर शब्द "छह सौ" स्थापित किए जाएं.

(5) वर्ष 1988 में क्रमांक 27 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1-क) में, विद्यमान स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण-1 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित स्पष्टीकरण-1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण.-2-.- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, सदस्य के अन्तर्गत भूतपूर्व सदस्य होगा, किन्तु भूतपूर्व सदस्य उपधारा (1) के अधीन देय चिकित्सा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा.".

(6) वर्ष 1992 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 (1) में शब्द "छह सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किए जाएं.

(7) वर्ष 1997 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल वेतन अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ" स्थापित किए जाएं.

(8) वर्ष 2000 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (1-क) के स्पष्टीकरण-दो का लोप किया जाए.

(9) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर, शब्द "तीन हजार" स्थापित किए जायें.

(10) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 में,-

(एक) उपधारा (1-क) में, खण्ड (तीन) में, शब्द 'संचालक, लोक स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश' के स्थान पर 'संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश' स्थापित किये जाए और कोलन के स्थान पर अर्द्ध-विराम स्थापित किए जाये और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किए जाये, अर्थात् :-

(चार) राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों के आंतरिक रोगी के रूप में कराई गई चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार तथा शल्य चिकित्सा पर हुए समस्त प्रभारों की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा,

(पांच) सदस्य के अचानक बीमार हो जाने तथा राज्य के बाहर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की पूर्व अनुमति के बिना चिकित्सीय उपचार कराने की स्थिति में शासन द्वारा विनिर्दिष्ट बीमारियों पर नियमानुसार अग्रिम प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसे अग्रिम को स्वीकृत करने के लिए प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा अधिकृत होगा तथा यह अग्रिम संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अनुमोदन के पश्चात् चिकित्सा प्रतिपूर्ति में से समायोजित किया जायेगा.";

(दो) उपधारा (2) में, शब्द 'सचिव' के स्थान पर, शब्द 'प्रमुख सचिव' स्थापित किये जाएं.

(11) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में शब्द "तीन हजार" रूपये के स्थान पर "पांच हजार" रूपये स्थापित किये जाये.

(12) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (1) में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किये जाये.

धारा 7-क का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात :-
"7-क. मृत सदस्य के आश्रित को पांच लाख रूपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा".

धारा 8 का संशोधन

(1) वर्ष 1974 में क्रमांक 4 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जायं, अर्थात् :-

"(ग) उसे चार सौ रूपये प्रतिमास वाहन भत्ता मिले;

(घ) उसे सरकारी खर्चे पर दो मुद्रलेखकों (टाइपिस्टों) तथा दो चपरासियों की सेवायें उपलब्ध रहें."

(2) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में शब्द तथा अंक "3,4,5,6 तथा 7" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "3,4, 4-क, 5, 5-क, 6 तथा 7" स्थापित किये जायं.

धारा 8 ''क'' का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 30 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त: स्थापित की जाय, अर्थात् :-

"8-क, कोई भी ऐसी धनराशि, जो कि किसी सदस्य से, सदस्य की हैसियत में उसको दी गई वास सुविधा के किराये के मद्दे या की गई उसकी सेवा के या दी गई किसी सुविधा के प्रभारों के मद्दे या सदस्य की हैसियत से उसको अन्यथा दी गई किसी वस्तु के प्रभारों के मद्दे राज्य सरकार को शोध्य हो, तथा उसके द्वारा (सदस्य द्वारा) देय हो, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसको (सदस्य को) देय वेतन तथा भत्तों में से ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाय, वसूली योग्य होगी.".

(2) वर्ष 1986 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 8 क के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय, अर्थात् :-
न

8"-क, कोई भी ऐसी धनराशि, जो कि किसी सदस्य से या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो कि धारा 6-क के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, सदस्य को हैसियत में उसकी दी गई वास-सुविधा के किराए के मद्दे या की गई सकेगी सेवा के या उसे दी गई किसी सुविधा के प्रभारों के मद्दे या सदस्य की की हैसियत से उसको अन्यथा दी गई किसी वस्तु के प्रभारों के मद्दे राज्य सरकार को शोध्य हो, और उसके द्वारा (सदस्य द्वारा) राज्य सरकार को देय हो, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथास्थिति --

(एक) ऐसे सदस्य को देय वेतन तथा भत्तों में से, या

(दो) ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन में से,

ऐसी रीति में, जो कि विहित हो जाए, वसूली योग्य होगी.".

धारा 9 का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 30 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"(ग) किसी सदस्य से धारा 8-क के अधीन शोध्य तथा उसके द्वारा देय धनराशियों की वसूली की राशि.".

(2) वर्ष 1976 में क्रमांक 63 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"(कक) वह प्ररूप जिसमें कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी पेंशन का दावा करने के प्रयोजन के लिए प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा;"

(3) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में, खण्ड (क) को खंड (क-1) के रूप में पुन:क्रमांकित किया जाय और इसी प्रकार पुन:क्रमांकित किये गये खंड (क-1) के पूर्व निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

(क) वे निवंधन तथा शर्तें, जिनके कि साथ किसी सदस्य को नि:शुल्क बस पास या नि:शुल्क रेल पास यथास्थिति धारा 5 या धारा 5-क के अधीन दिया जायगा,".

(4) वर्ष 1978 में क्रमांक 30 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

(क) उपधारा (2) में,--

(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किये जायं, अर्थात् :-

(क) वे निबंधन तथा शर्तें जिनके कि साथ किसी सदस्य को नि:शुल्क बस पास धारा 5 के अधीन दिया जायगा;

(कक) किसी सदस्य को धारा 5-क के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों का विनियमन;"

(दो) खंड (कक) को खंड (ककक) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाय;

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाय.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम

7 OF 73 के संशोधन

(1)	4 of 74	धारा -8
(2)	30 of 76	धारा -7, 8-क, 9
	63 of 76	धारा -1, 6क, 9
(3)	7 of 77	धारा - 6 क
(4)	19 of 78	धारा - 2, 4, 4 क, 5, 5, क, 6, 8, 9
	30 of 78	धारा- 5क
(5)	20 of 80	धारा - 1, 5क
(6)	19 of 81	धारा - 4, 4क, 5, 6क
(7)	24 of 83	धारा -7
(8)	24 of 85	धारा -5क
(9)	18 of 86	धारा -6क, 8क
(10)	10 of 87	धारा -3, 4, 4क, 5ख, 6क, 7
	27 of 87	धारा -5क
(11)	18 of 88	धारा -3, 4, 4क, 5, 6क, 7
	27 of 88	धारा -6क, 7
(12)	19 of 91	धारा -5क, 5ग, 6क
(13)	7 of 92	धारा -5ख
	18 of 92	धारा -4, 5क, 6क, 7
(14)	34 of 95	धारा -5क, 6क
(15)	4 of 97	धारा -5
	13 of 97	धारा -6क
	23 of 97	धारा -3, 4क, 5ख, 7
(16)	19 of 99	धारा -6 ख
(17)	18 of 2000	धारा -5क, 6ग, 7
(18)	26 of 2001	धारा -4, 4क, 4ख, 5क, 6क, 6ग, 7
(19)	25 of 2007	धारा -3, 4, 5क, 5ख, 6क, 6ख, 6ग, 7
(20)	22 of 2008	धारा -4ग
(21)	17 of 2010	धारा -3, 4, 4क, 4ख, 4ग, 5, 6क, 6ख, 6ग, 7
(22)	15 of 2011	धारा -5
(23)	23 of 2012	धारा -4, 4ख, 4ग, 5, 5ख, 6क, 6ख, 6ग
(24)	8 of 2013	धारा -6क
(25)	15 of 2016	धारा -3, 4, 4ग, 5, 5क, 6क, 6ख, 6ग, 7, 7क